



राजस्थान सरकार

विनियोग लेखे

1986-87



राजस्थान सरकार

विनियोग लेखे

1986-87

विषय सूची

भूमिका	पृष्ठ 1
विनियोग लेखों का सारांश	2-13
विनियोग लेखे :	
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासक	14
व्याज की अदायगियां	14-16
लोक सेवा आयोग	16
लोक ऋण	17-20
1. राज्य विधान मण्डल	20
2. मंत्री परिषद्	20-21
3. सचिवालय	21-22
4. जिला प्रशासन	22
5. प्रशासनिक सेवाएं	23
6. न्याय प्रशासन	23-24
7. निर्वाचन	24
8. राजस्व	25
9. वन	26-27
10. विविध सामान्य सेवाएं	27-28
11. विविध सामाजिक सेवाएं	28-29
12. अन्य कर	30
13. आबकारी	31
14. बिक्री कर	32
15. पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	33-34
16. पुलिस	34-35

	पृष्ठ
17. कारागार	35-36
18. जन सम्पर्क	36-37
19. लोक निर्माण कार्य	37-43
20. आवास	44-45
21. सड़कें एवं पुल	45-48
22. क्षेत्र का विकास	49-51
23. श्रम एवं रोजगार	52-54
24. शिक्षा, कला एवं संस्कृति	54-58
25. कोषागार व लेखा प्रशासन	59-60
26. चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य और सफाई	60-64
27. जल प्रदाय योजना	64-69
28. सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम	69
29. नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	69-70
30. जन जाति क्षेत्रीय विकास	70-76
31. पुनर्वास एवं सहायता	76-77
32. नागरिक आपूर्ति	77-78
33. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	78-79
34. प्राकृतिक आपदाओं के सम्बंध में राहत	80-83
35. विविध सामुदायिक तथा आर्थिक सेवाएं	83-84
36. सहकारिता	85-88
37. कृषि	88-91
38. लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	91-93
39. पशुपालन एवं चिकित्सा	94-96
40. राजकीय उपक्रम	96-97
41. सामुदायिक विकास	98
42. उद्योग	99-100

	पृष्ठ
43. खनिज	100-102
44. लेखन सामग्री एवं मुद्रण	103-104
45. राज्य कर्मचारियों को ऋण	104-105
46. सिंचाई	106-112
47. पर्यटन	113
48. विद्युत्	113-114
49. स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	114
परिशिष्ट—व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वस्तुतियों के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदानवार विवरण	116-117

भूमिका

राजस्थान सरकार के वर्ष 1986-87 के विनियोग लेखों का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 और राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1984 संपठित राजस्थान विनियोग (सं. 10) अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियम से संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में, 31 मार्च 1987 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखों में:—

‘मू’ मूल अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है।

‘अ’ अनुपूरक अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है।

‘पु’ सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, प्रत्याहरणों या अभ्यर्पणों के लिए प्रयुक्त है।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे ढाँकों से दिखाये गये हैं।

अनुदान या विनियोग
की संख्या और नाम

अनुदान/विनियोग की राशि

व्यय

	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/ राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासक	रु.	रु.	रु.
प्रभारित	42,41,000	..	42,54,496
व्याज की अदायगियां			
प्रभारित	2,56,09,91,000	..	2,54,55,17,649
लोक सेवा आयोग			
प्रभारित	64,51,000	..	64,45,303
लोक ऋण			
प्रभारित	..	4,50,58,77,000	..
1. राज्य विधान मण्डल			
दत्तमत	1,98,22,000	..	1,92,09,680
प्रभारित	3,08,000	..	1,78,881
2. मंत्री परिषद्			
दत्तमत	86,08,000	..	73,26,535
3. सचिवालय			
दत्तमत	8,35,07,000	..	7,84,28,703
प्रभारित	1,000	..	..
4. जिला प्रशासन			
दत्तमत	15,93,73,000	..	15,91,61,293
प्रभारित	17,000	..	14,125
5. प्रशासनिक सेवाएं			
दत्तमत	7,09,86,000	..	6,83,36,577
प्रभारित	1,000	..	..
6. न्याय प्रशासन			
दत्तमत	10,61,49,000	..	10,41,74,032
प्रभारित	1,72,40,000	..	1,67,71,408
7. निर्वाचन			
दत्तमत	4,64,91,000	..	2,20,54,572
प्रभारित	1,000	..	..
8. राजस्व			
दत्तमत	28,43,48,000	..	28,44,83,291
प्रभारित	24,000	..	13,000

लेखों का सारांश - 2801

वर्ष 1957-58			वर्ष 1958-59		
पूँजीगत			पूँजीगत		
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
1,00,00,000	1,00,00,000	1,00,00,000	1,00,00,000	1,00,00,000	1,00,00,000
..	..	..	..	..	..
1,54,73,351	1,54,73,351	1,54,73,351	1,54,73,351	1,54,73,351	1,54,73,351
5,697	5,697	5,697	5,697	5,697	5,697
2,90,50,00,508	2,90,50,00,508	2,90,50,00,508	2,90,50,00,508	2,90,50,00,508	2,90,50,00,508
6,12,320	6,12,320	6,12,320	6,12,320	6,12,320	6,12,320
1,29,119	1,29,119	1,29,119	1,29,119	1,29,119	1,29,119
12,81,465	12,81,465	12,81,465	12,81,465	12,81,465	12,81,465
50,78,297	50,78,297	50,78,297	50,78,297	50,78,297	50,78,297
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2,11,707	2,11,707	2,11,707	2,11,707	2,11,707	2,11,707
2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875
26,49,423	26,49,423	26,49,423	26,49,423	26,49,423	26,49,423
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
19,74,968	19,74,968	19,74,968	19,74,968	19,74,968	19,74,968
4,68,592	4,68,592	4,68,592	4,68,592	4,68,592	4,68,592
2,44,36,428	2,44,36,428	2,44,36,428	2,44,36,428	2,44,36,428	2,44,36,428
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1,35,291	1,35,291	1,35,291	1,35,291	1,35,291	1,35,291
11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000

(अनुदान) विनियोग की राशि
1986-87 के विनियोग

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय	
	राजस्व रु.	पूँजीगत रु.	राजस्व रु.	
21. सड़के एवं पुल दत्तमत प्रभारित	81,58,23,000 1,000	37,64,13,000 16,000	81,19,23,857 ..	
22. क्षेत्र का विकास दत्तमत	59,36,58,000	11,43,54,000	54,58,43,943	
23. भ्रम और रोजगार दत्तमत प्रभारित	1,83,87,13,000 1,000	1,57,59,46,720 ..	1,57,59,46,720 ..	
24. शिक्षा, कला एवं संस्कृति दत्तमत प्रभारित	3,74,83,09,000 30,000	13,50,000 ..	3,62,73,27,233 641	
25. कोषागार व लेखा प्रशासन दत्तमत प्रभारित	7,57,16,000 2,000	7,11,85,253 ..	7,11,85,253 ..	
26. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई दत्तमत प्रभारित	1,42,71,41,000 1,01,000	1,34,18,59,419 43,423	1,34,18,59,419 43,423	
27. जल प्रदाय योजना दत्तमत प्रभारित	89,66,60,000 1,98,000	1,77,93,16,000 ..	89,38,49,754 2,07,244	
28. सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम दत्तमत	4,50,00,000	4,49,35,037	4,49,35,037	
29. नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास दत्तमत	7,58,35,000	2,73,00,000	7,52,49,227	
30. जन जाति क्षेत्रीय विकास दत्तमत	38,53,48,000	9,30,87,000	39,00,45,594	
31. पुनर्वास एवं सहायता दत्तमत प्रभारित	58,79,000 1,000	1,00,000 ..	27,99,687 ..	
32. नागरिक आपूर्ति दत्तमत प्रभारित	2,51,13,000 57,000	33,77,000 1,000	2,29,60,105 57,159	

मिपिली नं १४-३३९।

लेखों का सारांश (क्रमशः)

वचन		वचन		वचन	
पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व
रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
30,88,28,343	38,99,143	6,75,84,657	..	..	..
..	1,000	16,000	..	..	..
5,83,82,492	4,78,14,057	5,59,71,508	..	..	..
..	..	..	..	..	..
..	26,27,66,280	..	..	..	..
..	1,000	..	..	..	..
11,13,921	12,09,81,767	2,36,079	..	..	..
..	29,359	..	..	..	..
..	45,30,747	..	..	..	..
..	2,000	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..
..	8,52,81,581	..	..	..	..
..	57,577	..	..	..	..
1,53,45,03,502	28,10,246	24,48,12,498	..	..	..
..	..	..	9,244	..	..
..	64,963	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..
2,15,71,126	5,85,773	57,28,874	..	..	..
..	..	..	..	..	..
8,20,35,905	..	1,10,51,095	46,97,594	..	..
..	..	..	..	..	..
(-) 235	30,79,313	1,00,235	..	..	..
..	1,000	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..
32,03,114	21,52,895	1,73,886	..	..	..
..	..	1,000	159	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व रु.	पू. जीगत रु.	राजस्व रु.
33. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
दत्तमत	47,45,77,000	..	44,33,20,421
प्रभारित	2,000	..	..
34. प्राकृतिक आपदाओं से राहत			
दत्तमत	94,28,63,000	1,19,25,000	49,20,51,498
प्रभारित	1,000	..	13,826
35. विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत	50,50,81,000	39,50,000	11,92,57,250
प्रभारित	3,32,000	..	3,16,189
36. सहकारिता			
दत्तमत	9,99,22,000	24,25,61,000	8,92,14,025
प्रभारित	1,000	..	..
37. कृषि			
दत्तमत	45,14,43,000	16,33,01,000	41,87,75,322
प्रभारित	53,000	..	44,263
38. लघु सिंचाई एवं मू-संरक्षण			
दत्तमत	37,05,29,000	1,10,33,000	31,72,86,254
प्रभारित	1,56,000	..	1,55,075
39. पशुपालन एवं चिकित्सा			
दत्तमत	21,60,47,000	24,11,000	20,16,17,115
प्रभारित	3,000	..	..
40. राजकीय उपक्रम			
दत्तमत	1,85,54,000	3,42,50,000	1,49,15,911
प्रभारित	1,000	..	..
41. सामुदायिक विकास			
दत्तमत	19,49,42,000	..	18,84,42,010
प्रभारित	1,000	..	..
42. उद्योग			
दत्तमत	13,70,99,000	16,13,22,000	13,45,64,044
प्रभारित	52,000	..	51,840
43. खनिज			
दत्तमत	28,53,76,000	3,60,83,000	16,54,37,152
प्रभारित	15,000	..	13,453

लेखों का सारांश (क्रमशः)

बचत			आधिक्य	
पूँजीगत रु.	राजस्व रु.	पूँजीगत रु.	राजस्व रु.	पूँजीगत रु.
1,55,000	3,12,56,579	..	..	1,55,000
..	2,000	..	..	..
69,65,505	45,08,11,502	49,59,495	..	..
..	..	..	12,826	..
35,20,534	38,58,23,750	4,29,466	..	..
..	15,811	..	..	..
14,17,83,074	1,07,07,975	10,07,77,926	..	..
..	1,000	..	..	..
6,01,01,512	3,26,67,673	10,81,99,433	..	..
..	8,737	..	..	..
54,40,016	5,32,42,746	55,92,934	..	..
..	925	..	..	..
12,89,230	1,44,29,885	11,21,720	..	..
..	3,000	..	..	..
3,28,61,583	36,38,089	13,88,417	..	..
..	1,000	..	..	..
..	64,99,990	..	..	..
..	1,000	..	..	..
15,52,81,269	25,34,956	60,40,731	..	..
..	160	..	..	..
3,02,47,055	11,99,38,848	58,35,945	..	..
..	1,547	..	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदात/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व रु.	पूँजीगत रु.	राजस्व रु.
44. लेखन सामग्री एवं मुद्रण			
दत्तमत	7,38,90,000	14,80,000	5,39,36,167
प्रभारित	1,47,000	..	..
45. राज्य कर्मचारियों को ऋण			
दत्तमत	..	21,85,00,000	..
46. सिंचाई			
दत्तमत	1,77,83,99,000	2,09,31,41,000	1,78,75,23,198
प्रभारित	4,000	60,000	1,01,219
47. पर्यटन			
दत्तमत	1,03,42,000	55,00,000	1,00,34,079
48. विद्युत्			
दत्तमत	5,24,00,000	1,06,78,00,000	5,24,09,222
49. स्थानीय निकायों और पंचायतों राज संस्थाओं को मुद्रावजा और समनुदेशन			
दत्तमत	7,39,83,000	..	7,26,65,891
योग			
दत्तमत	19,19,21,60,000	6,69,38,65,000	17,36,84,20,360
प्रभारित	2,59,14,27,000	4,50,59,64,000	2,57,49,28,064
कुल योग	21,78,35,87,000	11,19,98,29,000	19,94,33,48,424

लेखों का सारांश (क्रमशः)

		वचत		प्राधिकृत	
पूँजीगत रु.	राजस्व रु.	पूँजीगत रु.	राजस्व रु.	पूँजीगत रु.	
14,27,586	1,99,53,833	52,414	..	..	
..	1,47,000	..	..	..	
21,08,30,843	..	76,69,157	..	..	
2,16,45,67,441	..	..	91,24,198	7,14,26,441	
106,002	..	..	97,219	46,002	
54,99,400	3,07,921	600	..	..	
1,06,30,00,000	..	48,00,000	9,222	..	
..	18,17,109	..	..	..	
6,10,12,91,231	1,84,22,39,636	66,41,55,210	1,84,99,996	7,15,81,441	
2,90,51,06,510	1,66,45,850	1,60,09,03,492	1,46,914	46,002	
9,00,63,97,741	1,85,88,85,486	2,26,50,58,702	1,86,46,910	7,16,27,443	

1986-87 के विनियोग लेखों का सारांश (क्रमशः)

निम्नलिखित छः अनुदानों (एक नामले में, राजस्व और पूंजीगत दोनों भागों) में आधिक्य का नियमन अपेक्षित है :—

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या और नाम	आधिक्य	
		राजस्व रु.	पूंजीगत रु.
1.	8. राजस्व	1,85,291	..
2.	19. लोक निर्माण कार्य	45,38,691	..
3.	30. जनजाति क्षेत्रीय विकास	46,97,594	..
4.	33. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	..	1,55,000
5.	46. सिंचाई	91,24,198	7,14,26,441
6.	48. विद्युत्	9,222	..

निम्नलिखित छः प्रभारित विनियोगों पर हुए आधिक्य का भी नियमन अपेक्षित है :—

क्रम संख्या	विनियोग की संख्या और नाम	आधिक्य	
		राजस्व रु.	पूंजीगत रु.
1.	राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासक	13,496	..
2.	15. पेशन व अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	13,970	..
3.	27. जल प्रदाय योजना	9,244	..
4.	32. नागरिक आपूर्ति	159	..
5.	34. प्राकृतिक आपदाओं के राहत	12,826	..
6.	46. सिंचाई	97,219	46,002

अपेक्षित व्यय के हेतु अनुदान व विनियोग सकल राशियों के लिये होने से उनके सामने दिखाये गये व्यय के आंकड़ों में वे वसूलियां, जो व्यय से घटाकर लेखों में समायोजित की जाती हैं, सम्मिलित नहीं हैं। निबल व्यय के आंकड़े वित्त लेख में दिखाये जाते हैं।

1986-87 के विनियोग लेखों का सारांश (समाप्त)

विनियोग लेखों के अनुसार कुल व्यय और वित्त लेखों में दिखाये गये व्यय का मिलान नीचे दिया गया है :-

	दत्तमत		
	राजस्व	पूँजी	योग
	रु. 1	रु. 2	रु. 3
विनियोग लेखों के अनुसार			
कुल व्यय	17,36,84,20,360	6,10,12,91,231	23,46,97,11,591
घटाइये-पृष्ठ 116-117 पर परिशिष्ट में दिखाई गई कुल वसूलियाँ	1,27,62,84,331	1,66,37,27,341	2,94,00,11,672
वित्त लेखों में दिखाया गया कुल निवल व्यय	16,09,21,36,029	4,43,75,63,890	20,52,96,99,919

	प्रभारित		
	राजस्व	पूँजी	योग
	रु. 4	रु. 5	रु. 6
विनियोग लेखों के अनुसार			
कुल व्यय	2,57,49,28,064	2,90,51,06,510	5,48,00,34,574
घटाइये-पृष्ठ 116-117 पर परिशिष्ट में दिखाई गई कुल वसूलियाँ	13,826	..	13,826
वित्त लेखों में दिखाया गया कुल निवल व्यय	2,57,49,14,238	2,90,51,06,510	5,48,00,20,748

विनियोग लेखों भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 और नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे निदेशों के अधीन तैयार किये और जांचे गये हैं। मेरे अधिकारियों द्वारा मांगी गई और प्राप्त की गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर मैं, राजस्थान सरकार के वर्ष 1986-87 के लेखों पर अपने प्रतिवेदन की अभ्युक्तियों के अधीन रहते हुए, प्रमाणित करता हूँ कि ये लेख सही हैं।

त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी

नई दिल्ली,
दिनांक

(त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी)
भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासक (समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : 212: राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासक

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत-
	रु.	रु.	रु.
राजस्व			
मूल	37,19,000	42,41,000	42,54,496
अनुपूरक	5,22,000		+13,496
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			
टिप्पणियां तथा टीकाएं			

1. व्यय प्रभारित विनियोजन से 13,496 रुपये अधिक है, जिसका नियमन अपेक्षित है।

2. आधिक्य मुख्यतः मद "ग (ख) सचिवालय" के अन्तर्गत हुआ जो विद्युत, टेलीफोन तथा पानी प्रसार पर हुए अधिक व्यय को आरोपित किया गया।

व्याज की अदायगियां (समस्त प्रभारित)
मुख्य शीर्ष : 249. व्याज की अदायगियां

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत-
	रु.	रु.	रु.
राजस्व			
मूल	2,50,69,30,000	2,56,09,91,000	2,54,55,17,649
अनुपूरक	5,40,61,000		-1,54,73,351
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			1,72,30,000
टिप्पणियां तथा टीकाएं			

1. 1,54.73 लाख रुपये की अंतिम बचत के सन्दर्भ में, मार्च 1987 में लिया गया 5,40.61 लाख रुपये का अनुपूरक विनियोजन अधिक सिद्ध हुआ।

2. 1,54.73 लाख रुपये की वास्तविक बचत के विरुद्ध 1,72.30 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत रही, जिसका अभ्यर्पण कर दिया गया था।

3. विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत-
			(लाख रुपयों में)
घ (च) 1979-80			
पूर्व कर्जों पर व्याज			
मू.	35,04.71		
पू.	-35,04.71		

इस प्रकार के समस्त ऋणों का समेकन और समूहबद्ध करने के संबंध में आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों को अनुपालना में समस्त राशि इस मद से हटाकर मद (छ) में स्थानान्तरित की गयी।

ब्याज की अदायगियां (समस्त प्रभारित) - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
-------	-------------	-----------------------------------	-------------------

घ (क) योजनेत्तर योजनाओं
के लिये कर्जों पर ब्याज

मू.	54,63.04	27,06.59	27,06.59	..
पु.	-27,56.45			

27,56.45 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत शीर्ष (छ) में शामिल किये गये प्रावधान को आरोपित की गई।

क (ग) I (i) भारतीय रिजर्व
बैंक से मार्गोपाय अग्रिम

मू.	2,50.00	5.29	5.29	..
पु.	-2,44.71			

2,44.71 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारतीय रिजर्व बैंक से कम मार्गोपाय लेने तथा कम ब्याज के भुगतान के कारण को आरोपित की गई।

क(क) I (xvi) 11% राजस्थान
राज्य विकास ऋण, 2001

मू.	2,65.88	1,44.33	1,27.66	-16.67
पु.	-1,21.55			

1,21.55 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अनुमानों से कम ब्याज के भुगतान को आरोपित की गई। 16.67 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

क(क) (xv) 9½% राजस्थान
राज्य विकास ऋण, 1998

मू.	10,91.32	10,91.49	10,21.12	-70.37
पु.	0.17			

70.37 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

व्याज की अदायगियां (समस्त प्रभारित) - (समाप्त)

4. उपरोक्त नोट 3 में वर्णित शीर्षों में 67,14.29 लाख रुपये की कुल बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में हुए आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रति-सन्तुलित की गई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत-
			(लाख रुपयों में)
घ (क) 1984-85 से पूर्व के कर्जों पर व्याज			
मू. 31,59.32	95,52.81	95,52.81	..
पु. 63,93.49			

कुल 63,93.49 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि पुनर्विनियोजन द्वारा 1984-85 से पहले प्राप्त हुये ऋणों का समायोजन करने के लिये उपलब्ध कराई गई थी। इस शीर्ष के अन्तर्गत तथा विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत मूल प्रावधान का आयोजन किया गया था। यह बताया गया कि इन सभी सामूहिक तथा समेकित ऋणों का प्रावधान आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अधीन किया गया था।

घ (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की
योजनागत योजनाओं के लिये दिये
गये कर्जों पर व्याज

मू. 21,04.68	22,36.32	22,36.32	..
पु. 1,31.64			

1,31.64 लाख रुपये के प्रावधान का आवर्धन भारत सरकार से अधिक ऋण प्राप्त होने को आरोपित किया गया।

ग (क) IV (ii) सार्वजनिक
निर्माण विभाग उद्योग सहित

मू. 2,50.00	3,00.00	3,00.00	..
पु. 50.00			

50 लाख रुपये की निधि का आवर्धन अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान पर अधिक व्यय को आरोपित किया गया।

लोक सेवा आयोग (समस्त प्रभारित)
मुख्य शीर्ष: 251.लोक सेवा आयोग

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत-
	रु.	रु.	रु.
राजस्व			
मूल 63,16,000	64,51,000	64,45,303	-5,697
अनुपूरक 1,35,000			

वर्ष के दौरान अस्थायित
राशि (मार्च 1987)

5,000

(अनुसूची) - लोक ऋण (समस्त प्रभारित)
 मुख्य शीर्ष: 603. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण और
 604. केन्द्रीय सरकार से कर्ज और पेशगियां

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत-
	रु.	रु.	रु.
वृंजी मूल	4,05,58,70,000	4,50,58,77,000	2,90,50,00,508 - 1,60,08,76,492
अनुपूरक	45,00,07,000		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			1,58,65,60,000
टिप्पणियां तथा टीकाएं			

1. 1,60,08.76 लाख रुपये की अन्तिम बचत के संदर्भ में और यह तथ्य कि वास्तविक व्यय मूल विनियोजन से भी कम हुआ, मार्च 1987 में लिखा गया अनुपूरक विनियोजन अनावश्यक था।

2. विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत-
		(लाख रुपयों में)	
603. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण			
(च) भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियां			

मू.	2,00,00.00	43,60.00	43,60.00	..
पु.	-1,56,40.00			

15,640 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमानों से कम अधिविकर्ष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(क) व्याज वाले बाजार कर्ज

(i) 6% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 1986

मू.	23,17.17	23,17.17	22,08.61	-1,08.56
-----	----------	----------	----------	----------

1, 08. 56 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

604. केन्द्रीय सरकार से कर्ज और पेशगियां

क. धोखेनस्तर कर्ज

(क) साधनों के अन्तर को पूरा करने के लिये कर्ज

मू.	84,79.75	18,36.35	18,36.35	..
पु.	-66,43.40			

लोक ऋण (समस्त प्रचारित) - (क्रमशः)

शीर्ष कुल विनियोग वास्तविक व्यय आधिक्य +
बचत -
(लाख रुपयों में)

ड-1984-85 से पूर्व के कर्ज

(क) 1979-80 से पूर्व के समेकित कर्ज जो 30 वर्ष में चुकाने योग्य हैं

मू.	22,63.95	
पु.	-22,63.95	

(ख) 1979-80 के बाद के समेकित कर्ज जो 30 वर्ष में चुकाने योग्य हैं

मू.	16,22.39	
पु.	-16,22.39	

उपरोक्त दोनों शीर्षों में 1,05,29.74 लाख रुपये का पूर्ण प्रावधान अभ्यपित किया गया जिसमें 1984-85 के पूर्व के सभी ऋणों को इन शीर्षों जिनमें कि मूलतः प्रावधान किया गया था, के अलावा दूसरे विभिन्न शीर्षों में सम्मिलित किया जा सके। यह सभी माठवें वित्तीय आयोग जो कि ऐसे सभी ऋणों को एकत्र एवं समेकित करने के सम्बन्ध में की गई सिफारिश के आधार पर किया गया।

क-योजनेतर कर्ज

(इ) कृषि ऋण एवं उर्वरक

मू.	26,10.00	13,03.00	13,03.00	..
पु.	-13,07.00			

1,307 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत, बजट की पूर्ण स्थिति तथा स्थायी स्रोत के प्रसंग में भारत सरकार से ऋण में कमी की जाने के कारण हुई।

च-1979-80 से पूर्व के कर्ज

(क) लघु बचत कर्ज

मू.	3,24.40	
पु.	-3,24.40	

क-योजनेतर कर्ज

(ख) अल्प बचत संग्रणों का भाग

मू.	1,55.30	
पु.	-1,55.30	

उपर्युक्त दोनों शीर्षों के पूर्ण प्रावधान की कुल राशि 4,79.70 लाख रुपये 1984-85 के पूर्व की लघु बचत संग्रहण के शीर्ष "ज(क) लघु बचत संग्रहण" में, बजाय इन शीर्षों में जिसमें की मूल रूप से प्रावधान किया गया था, में करने हेतु अभ्यपित की गई। यह माठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया बताया।

लोक ऋण (समस्त प्रभारित) -- (क्रमशः)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में हुए आधिक्य से आंशिक रूप से प्रति संतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
	(लाख रुपये में)		
604. केन्द्रीय सरकार से कर्ज और पेशगियां			
ज-1984-85 के पूर्व के कर्ज	100.0		
(घ) अन्य कर्ज			
(iii) साधनों के अन्तर को पूरा करने के लिये 1982-83 एवं 1983-84 के कर्ज ।			
अ. 0.01	66,43.40	66,43.40	..
पु. 66,43.39			
(i) 1979-80 के पूर्व के समेकित कर्ज जो 30 वर्षों में चुकाने योग्य हैं			
अ. 0.01	22,64.37	22,64.37	..
पु. 22,64.36			
(i) 1979-80 के बाद के समेकित कर्ज जो 30 वर्षों में चुकाने योग्य हैं			
अ. 0.01	16,21.00	16,21.00	..
पु. 16,20.99			

उपरोक्त तीन शीर्षों में वर्गीकरण से परिवर्तन होने से पुनर्विनियोजन द्वारा निधि का प्रावधान किया गया ।

क-अर्थोपाय पेशगियां

(क) अन्य अर्थोपाय पेशगियां

अ. 45,00.00	55,00.00	55,00.00	..
पु. 10,00.00			

प्रावधान में 1,000 लाख रुपये की वृद्धि, भारतीय रिजर्व बैंक पर न्यूनतम रोकड़ शेष बनाये रखने हेतु भारत सरकार से प्राप्त अधिक अर्थोपाय पेशगियों का पुनर्भुगतान हेतु पुनर्विनियोजन द्वारा की गई ।

लोक श्रृण (समस्त प्रसारित) - (समाप्त)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत—
	(लाख रुपयों में)		

ज- 1984-85 से पूर्व के कर्ज

(क) अल्प बचत संग्रह

अ.	0.01	4,79.70	4,79.70
पु.	4,79.69		

पुनर्विनियोजन द्वारा निधि में वृद्धि वर्गीकरण में परिवर्तन के कारण की गई।

अनुदान संख्या 1- राज्य विधान मंडल
मुख्य शीर्ष : 211. संसद/राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र, विधान मण्डल और
265. अन्य प्रशासनिक सेवाएं

	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य + बचत— रु.
राजस्व दत्तमत			
मूल	1,82,74,000	1,98,22,000	1,92,09,680
अनुपूरक	15,48,000		-6,12,320
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			7,10,000
प्रसारित			
मूल	3,08,000	3,08,000	1,78,881
अनुपूरक	..		-1,29,119
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			1,28,000

अनुदान संख्या 2 - मंत्री परिषद् (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : 213. मंत्री परिषद्

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत—
	रु.	रु.	रु.
राजस्व			
मूल	86,08,000	86,08,000	73,26,535
अनुपूरक	..		-12,81,465
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			15,36,000

अनुदान संख्या 2-(समाप्त)

टिप्पणियां तथा टीकाएं

1. कुल 12.81 लाख रुपये की अंतिम बचत के संदर्भ में, मार्च 1987 में किया गया 15.36 लाख रुपये का अभ्यर्ण अत्यधिक था।

2. अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न में हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत—
(च) अन्य व्यय			
(iv) मोटर कारों का चालन तथा संधारण			
मू.	35.00	22.99	12.01
पु.	-12.01	17.41	-5.58

12.01 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मोटर वाहनों के संधारण पर कम व्यय को आरोपित की गई। 5.58 लाख रुपयों की अंतिम बचत के कारण संतुचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

अनुदान संख्या 3- सचिवालय

मुख्य शीर्ष:	252. सचिवालय - सामान्य सेवाएं,			
	276. सचिवालय - सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं और			
	296. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं			
	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत—	
	रु.	रु.	रु.	
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	7,39,65,000	8,35,07,000	7,84,28,703	-50,78,297
अनुपूरक	95,42,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्णित राशि (मार्च 1987)				44,76,000
प्रभारित				
मूल	1,000	1,000		-1,000
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्णित राशि (मार्च 1987)				1,000
टिप्पणियां और टीकाएं				
दत्तमत				

1. अनुदान में 50.78 लाख रुपये की अंतिम बचत के संदर्भ में, 95.42 लाख रुपयों का मार्च 1987 में लिया गया अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 3-(समाप्त)

2. अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
		(लाख रुपयों में)	

296. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं

(ख) सचिवालय

(i) राज्य आयोजना मशीनरी

I- राज्य स्तरीय मशीनरी

मू.	49.91	35.24	35.16	-0.08
अ.	2.65			
पु.	-17.32			

17.32 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कुछ पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

(ख) (i) II-जिला स्तरीय मशीनरी

मू.	10.18	..	..	..
पु.	-10.18			

वर्ष के दौरान योजना के स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण समस्त प्रावधान अनुपयो-जित रहा।

अनुदान संख्या 4- जिला प्रशासन

मुख्य शीर्ष : 253. जिला प्रशासन

	कुल अनुदान या बिनिर्धारित	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
	रु.	रु.	रु.
राजस्व			
वस्तुमत			
मूल	15,64,69,000	15,93,73,000	15,91,61,293
अनुपूरक	29,04,000		-2,11,707

वर्ष के दौरान अभ्यर्षित
राशि

प्रभारित

मूल	6,000	17,000	14,125	-2,875
अनुपूरक	11,000			

वर्ष के दौरान अभ्यर्षित
राशि (मार्च 1987)

2,900

अनुदान संख्या 5-प्रशासनिक सेवाएं

मुख्य शीर्ष : 252. सचिवालय—सामान्य सेवाएं और

265. अन्य प्रशासनिक सेवाएं

राजस्व	कुल अनुदान या विलियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत—
दत्तमत]	रु.	रु.	रु.
मूल	6,67,65,000	7,09,86,000	6,83,36,577
अनुपूरक	42,21,000		-26,49,423

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (मार्च 1987)

26,34,000

प्रभारित	मूल	अनुपूरक	आधिक्य + बचत—
	1,000	..	-1,000

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (मार्च 1987)

1,000

टिप्पणी तथा टीका
दत्तमत

अनुदान में 26.49 लाख रुपये की सम्पूर्ण बचत के सन्दर्भ में, मार्च 1987 में ली गयी 26.08 लाख रुपये की अनुपूरक अनुदान अनावश्यक थीं (42.21 लाख रुपये की कुल अनुपूरक अनुदान में से 16.13 लाख रुपये की अक्टूबर 1986 में ली गयी) ।

अनुदान संख्या 6-न्याय प्रशासन

मुख्य शीर्ष : 214. न्याय प्रशासन

राजस्व	कुल अनुदान या विलियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत—
दत्तमत	रु.	रु.	रु.
मूल	10,51,82,000	10,61,49,000	10,41,74,032
अनुपूरक	9,67,000		-19,74,968

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (मार्च 1987)

41,30,000

प्रभारित	मूल	अनुपूरक	आधिक्य + बचत—
	1,30,51,000	41,89,000	-4,68,592

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (मार्च 1987)

2,24,000

अनुदान संख्या 6- (समाप्त)

टिप्पणियां तथा टीकाएं

1. मार्च 1987 में लिया गया 9.67 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान व्यर्थ रहा क्योंकि अन्तिम व्यय मूल बजट प्रावधान से भी कम था।

2. दत्तमत अनुदान में 19.75 लाख रुपये की अन्तिम बचत के सन्दर्भ में, मार्च 1987 में 41.30 लाख रुपये के प्रावधान का अभ्यर्ण अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 7-निर्वाचन

मुख्य शीर्ष : 215. निर्वाचन और
314. सामुदायिक विकास

	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत- रु.
राजस्व दत्तमत मूल	4,64,91,000	4,64,91,000	-2,20,54,572
अनुपूरक	..		-2,44,36,428

वर्ष के दौरान अभ्यर्णित
राशि (मार्च 1987)

2,45,07,000

प्रभारित
मूल

1,000

1,000

-1,000

अनुपूरक

..

वर्ष के दौरान अभ्यर्णित
राशि (मार्च 1987)

1,000

टिप्पणी तथा टीका

दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न में हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत-
314. सामुदायिक विकास क-सामान्य (ड) अन्य व्यय (ii) पंचायत चुनावों पर व्यय			

II-सामान्य चुनाव

मू.	3,74.30	1,34.00	+ 0.60
पु.	-2,40.30		

2,39.70 लाख रुपये की शुद्ध बचत पंचायत चुनावों के स्थगन को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 8-राजस्व
मुख्य शीर्ष : 229. भू-राजस्व और
252. सचिवालय-सामान्य सेवाएं

राजस्व	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत-
रु.	रु.	रु.	रु.
दत्तमत			
मूल 27,42,87,000	28,43,48,000	28,44,83,291	+1,35,291
अनुपूरक 1,00,61,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			
प्रभारित			
मूल 2,000	24,000	13,000	-11,000
अनुपूरक 22,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			

टिप्पणियां तथा टीकाएं

- व्यय दत्तमत अनुदान से 1,35,291 रुपये अधिक रहा, जिसका नियमन अपेक्षित है।
- आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्षों में हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत-
			(लाख रुपयों में)

229. भू-राजस्व

(ख) भू-अभिलेख

(ii) जिला प्रभार

मू.	22,19.34	23,30.17	23,35.60	+5.43
अ.	60.00			
पु.	50.83			

31 मार्च 1987 को पुनर्विनियोजन के द्वारा 50.83 लाख रुपये की अतिरिक्त निधि का प्रावधान बोनस तथा संशोधित वेतनमान में वेतन के स्थिरीकरण के बकाया के भुगतान की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराया गया। 5.43 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

- टिप्पणी 2 में बताया गया आधिक्य व्यय से मुख्यतः निम्न शीर्षों में हुई बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत-
			(लाखों रुपयों में)

(ख) भू-अभिलेख

(iv) भू-अभिलेख सुधार योजना

भू-प्रबन्ध आयुक्त के
अभिकरण के माध्यम से

मू.	97.52	69.56	69.94	+0.38
पु.	-27.96			

(क) सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त कार्य

(ii) जिला कर्मचारी वर्ग

मू.	2,51.88	2,56.21	2,57.20	+0.99
अ.	20.29			
पु.	-15.96			

उपरोक्त दोनों मदों में कुल 43.92 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कुछ पदों के रिक्त रहने तथा परिवर्तित वेतनमान में वेतन निर्धारण के कारण हुए बकाया के भुगतान न होने को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 9-वन

मुख्य शीर्ष : राजस्व-313. वन

पूँजी-513. वनों पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य + बचत- रु.
दत्तमत			
मूल	21,29,26,000	28,64,53,000	23,92,98,006
अनुपूरक	7,35,27,000		

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (मार्च 1987)

67,51,000

प्रसारित

मूल	1,000	77,000	61,107	-15,893
अनुपूरक	76,000			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि

पूँजी

दत्तमत

मूल	15,00,000	15,00,000	4,20,556	-10,79,444
अनुपूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (मार्च 1987)

11,00,000

टिप्पणियां तथा टीकाएं

राजस्व

1. दत्तमत अनुदान में 4,71.55 लाख रुपये की अंतिम बचत के संदर्भ में कुल अनुपूरक अनुदान 7,35.27 लाख रुपये जो अक्टूबर 1986 में (89.27 लाख रुपये) तथा मार्च 1987 में (64.6 लाख रुपये) ली गई, आवश्यकता से अधिक थी।

2. मार्च 1987 में 67.51 लाख रुपये की बचत प्रत्याशित की गई और अभ्यर्पित की गई। 4,71.55 लाख रुपये की अंतिम बचत को देखते हुए, संभावित बचत का अनुमान तथा उसका समय से अभ्यर्पण वास्तविक नहीं रहा।

अनुदान संख्या 9—(समाप्त)

3. दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न में हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत—
			(लाख रुपयों में)
(घ) वन संरक्षण एवं विकास			
(ix) परिभ्रांणित वनों का पुनरापेक्ष			
मू.	1,31.26		
अ.	6,19.27	7,52.94	4,34.16
पु.	2.41		-3,18.78

3,18.78 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

(xi) विश्व बैंक सहायता के अंतर्गत सामाजिक वानिकी कार्यक्रम

I. संगठन एवं प्रबंध

मू.	4,08.52			
		3,76.36	3,58.49	-17.87
पु.	-32.16			

32.16 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कुछ पदों के खाली रहने और (ii) लघु निर्माण कार्य पूर्वानुमान से कम संख्या में स्वीकृत होने को आरोपित की गई। 17.87 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

(घ) वन संरक्षण एवं विकास

(iv) वन संरक्षण

मू.	1,28.40			
		21.42	20.00	-1.42
पु.	-1,06.98			

1,06.98 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः लघु निर्माण कार्य पूर्वानुमान से कम स्वीकृत होने को आरोपित की गई। 1.42 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

पूँजी

दत्तमत अनुदान में बचत शीर्ष (ख) (i) "राजस्थान राज्य वन विकास निगम में विनियोजन" में रही। जो निगम में विनियोजनों में कमी को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 10— विविध सामान्य सेवाएं (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : 268. विविध सामान्य सेवाएं

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
	रु.	रु.	रु.
राजस्व			
मूल	11,66,000		
		16,00,000	11,20,671
अनुपूरक	4,34,000		-4,79,329
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			3,83,000

अनुदान संख्या 10—(समाप्त)

टिप्पणी तथा टीका

1. अनुदान में 4.79 लाख रुपये की अन्तिम वचत के संदर्भ में, मार्च 1987 में 4.34 लाख रुपये की ली गई अनुपूरक अनुदान अनावश्यक थी।

अनुदान संख्या 11—विविध सामाजिक सेवाएं

- मुख्य शीर्ष: राजस्व— 279. वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान,
295. अन्य सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं और
309. खाद्य
पूँजी— 479. वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य + बचत - रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	5,16,27,000	6,68,78,000	6,01,95,786	-66,82,214
अनुपूरक	1,52,51,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)				70,10,000
प्रभारित				
मूल	1,000	11,000	5,686	-5,314
अनुपूरक	10,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)				5,000
पूँजी				
दत्तमत				
मूल	1,50,000	1,50,000		-1,50,000
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)				1,50,000

टिप्पणियां तथा टीकाएं

राजस्व

1. दत्तमत अनुदान में 66.82 लाख रुपये की कुल बचत के संदर्भ में, अक्टूबर 1986 में (2.50 लाख रुपये) और मार्च 1987 में (1,50.01 लाख रुपये) कुल 1,52.51 लाख रुपये का लिया गया अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

2. मार्च 1987 में 70.10 लाख रुपये का अभ्यर्पण किया गया। अनुदान में अंततः बचत 66.82 लाख रुपये की रही।

अनुदान संख्या 11—(समाप्त) ।

3. वक्तव्य अनुदान में वक्तव्य पुरुषों: निम्न में हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + वक्तव्य -
		(लाख रुपयों में)	

279. वैज्ञानिक सेवाएँ और अनुसंधान

ग-अन्य वैज्ञानिक सेवाएँ

(क) अन्य सेवाएँ

(ii) पर्यावरण सुधार

मू.	29.50	15.56	16.72	+1.16
पु.	-13.94			

13.94 लाख रुपये की प्रत्याशित वक्तव्य मुख्यतः कुछ पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।
1.16 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण संयोजित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988) ।

ग-अन्य वैज्ञानिक सेवाएँ

(क) अन्य सेवाएँ

(i) विज्ञान एवं तकनीकी

मू.	37.82	27.70	27.52	-0.18
अ.	2.51			
पु.	-12.63			

12.63 लाख रुपये की प्रत्याशित वक्तव्य मुख्यतः (i) कुछ पदों के रिक्त रहने और (ii) व्यय के उचित लेखांकन में कुछ समस्याओं को दूर करने के लिये कुछ कर्मचारियों के वेतन पर हुए व्यय को मुख्य शीर्ष 276 "सचिवालय-सामाजिक और सामुदायिक सेवाएँ" के नामे किये जाने के पश्चात्-बजट निर्णय को आरोपित की गई ।

309. खाद्य

(क) पौष्टिक और सहायक खाद्य

I. विश्व खाद्य कार्यक्रम

(i) इंदिरा गांधी नहर बोर्ड के माध्यम से

मू.	81.07	34.77	36.10	+1.33
पु.	-46.30			

44.97 लाख रुपये की कुल वक्तव्य, जो कि मूल अनुदान का 55.47% है, के कारण संयोजित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988) ।

अनुदान संख्या 12- अन्य कर

मुख्य शीर्ष: 230. स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन,

235. सम्पत्ति और पूंजीगत लेन-देनों पर अन्य करों का संग्रह,

241. वाहनों पर कर और

245. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
	रु.	रु.	रु.

राजस्व

दत्तमत

मूल	4,77,94,000	5,16,51,000	4,91,30,832	-25,20,168
अनुपूरक	38,57,000			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (मार्च 1987)

11,18,000

प्रभारित

मूल	1,000	1,000	..	-1,000
अनुपूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (मार्च 1987)

1,000

टिप्पणियां तथा टीकाएं

1. दत्तमत अनुदान में 25.20 लाख रुपये की अन्तिम बचत के सन्दर्भ में, मार्च 1987 में 38.57 लाख रुपये की ली गई अनुपूरक अनुदान आवश्यकता से अधिक थी।

2. मार्च 1987 में 11.18 रुपये का अभ्यर्पण किया गया। बचत अंततः 25.20 लाख रुपये की रही।

2. बचत मुख्यतः निम्न शीर्ष में हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
			(लाख रुपयों में)

230. स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन

ख(ख) स्टाम्प की लागत

मू.	10.00	10.00	..	-10.00
-----	-------	-------	----	--------

10 लाख रुपये के पूर्ण प्रावधान के अनुपयोजित रहने के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

अनुदान संख्या 13- आबकारी

मुख्य शीर्ष : 239. राज्य उत्पाद शुल्क

राजस्व	कुल अनुदान या वित्तियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य + बचत - रु.
दत्तमत			
मूल 15,33,42,000	15,41,49,000	12,50,56,364	-2,90,92,636
अनुपूरक 8,07,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			3,54,82,000
प्रभारित			
मूल 1,000	98,000	96,627	-1,373
अनुपूरक 97,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			1,000
टिप्पणियां तथा टीकाएं			

1. दत्तमत अनुदान में 2,90.93 लाख रुपये की अंतिम बचत के सम्बंध में और इस तथ्य के साथ कि वास्तविक व्यय मूल अनुदान 15,33.42 लाख रुपयों से भी कम था, मार्च 1987 में 8.07 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान जो कि वेतन तथा भत्तों और बोनस के भुगतान के लिये लिया गया, व्यर्थ सिद्ध हुआ। 3,54.82 लाख रुपये का अभ्यर्पण भी निधि संगत नहीं रहा।

2. दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न में हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
		(लाख रुपयों में)	
(ख) शराब और स्प्रिट की खरीद			

मू.	12,00.00	8,63.96	9,24.35	+60.39
पु.	-3,36.04			

3,36.04 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत शराब और स्प्रिट की खरीद मूल अनुमानों से कम होने को आरोपित की गई। 60.39 लाख रुपये की अंतिम आधिक्य के सम्बंध में, जिसके कारण संशुचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988), परिशोधित निधि की आवश्यकता वास्तविक नहीं प्रतीत होती है।

अनुदान संख्या 14- बिन्नी कर

मुख्य शीर्ष ; 240. बिन्नी कर

कुल अनुदान या विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
रु.		रु.	रु.
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	7,44,24,000	7,87,49,000	7,36,84,008
अनुपूरक	43,25,000		-50,64,992
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			40,91,000

प्रभारित			
मूल	5,000	5,000	..
अनुपूरक	..		-5,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			4,000

टिप्पणियां तथा टीकाएं

1. मार्च 1987 में 43.25 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान मुख्यतः वेतन और भत्तों पर बढ़े हुये व्यय तथा बोनस के भुगतान के लिये लिया गया। तथापि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से भी कम रहा।

2. 50.65 लाख रुपये की कुल बचत में से 9.74 लाख रुपये अनुअभ्यर्पित रहे।

3. दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न में हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
		(लाख रुपयों में)	

(ख) संप्रहण प्रसार

(ii) अन्य जिला कार्यकारी स्थापना

मू.	5,79.59	5,79.32	5,65.77	-13.55
प्र.	31.20			
पु.	-31.47			

31.47 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कुछ पदों के रिक्त रहने तथा स्टाफ को बकाया का भुगतान न करने को आरोपित की गई। इस मद के अन्तर्गत व्यय वर्ष 1985-86 के दौरान भी प्रावधान से कम था जब भी इसी प्रकार के बचत के कारण दिये गये थे। 13.55 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

अनुदान संख्या 15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

मुख्य शीर्ष : 266. पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत- रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	48,86,58,000	51,02,43,000	48,08,04,298	-2,94,38,702
अनुपूरक	2,15,85,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)				3,03,47,000
प्रभारित				
मूल	1,54,000	2,04,000	2,17,970	+13,970
अनुपूरक	50,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
टिप्पणियां तथा टीकाएं				

1. दत्तमत अनुदान में अन्ततः बचत 2,94.39 लाख रुपये के सन्दर्भ में और इस तथ्य के साथ कि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम था, मार्च 1987 में लिया गया 2,15.85 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक रहा ।

2. 3,03.47 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के विपरीत, जो कि मार्च 1987 में अभ्यर्पित की गई, अन्ततः बचत केवल 2,94.39 लाख रुपये रही ।

3. प्रभारित विनियोग से व्यय 13,970 रुपये अधिक हुआ, जिसका नियमन अपेक्षित है ।

4. दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्ष में हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत-
(क) अधिवाषिकी और सेवानिवृत्ति भत्ते			
(i) अन्य कर्मचारियों को पेंशन			
मू.	37,50.01	35,86.00	34,75.93
पु.	-1,64.01		
			-1,10.07

1,64.01 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मूल अनुमान से कम पेंशन निकालने को आरोपित की गई । 1,10.07 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988) ।

अनुदान संख्या 15—(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत—
(ब) अन्य पेशने			
(ii) जिला परिषदों और पंचायत समितियों के कर्मचारियों को पेशने			
मू.	2,40.00	1,10.00	1,11.42
पु.	-1,30.00		+1.42

130 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पेशन मामलों के मूल अनुमान से कम संख्या में प्राप्त होने को आरोपित की गई ।

5. नोट (4) में वर्णित शीर्ष में बचत निम्नलिखित शीर्षों में हुये अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित की गई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत—
-------	------------	-----------------------------------	------------------

(ड) उपदान

(i) अन्य कर्मचारियों को उपदान

मू.	1,50.00			
अ.	65.85	2,75.00	3,28.09	+ 53.09
पु.	59.15			

1,12.24 लाख रुपये के कुल अधिक व्यय, जो कि मूल प्रावधान 150 लाख रुपये का 74.83% प्रतिशत है, के कारण समूचित नहीं किये हैं (अप्रैल 1988) ।

अनुदान संख्या 16—पुलिस

मुख्य शीर्ष : राजस्व—255. पुलिस और

265. अन्य प्रशासनिक सेवाएं

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत—
रु.	रु.	रु.

राजस्व

दत्तमत

मूल	87,73,09,000	93,63,01,000	92,10,93,769	-1,52,07,231
अनुपूरक	5,89,92,000			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित

राशि (मार्च 1987)

27,69,000

प्रभारित

मूल	2,000	2,88,000	2,87,396	-604
अनुपूरक	2,86,000			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित

राशि

अनुदान संख्या 16-(समाप्त)

टिप्पणियां तथा टीकाएं

1. दत्तमत अनुदान में 1,52.07 लाख रुपये के अन्तिम बचत के सन्दर्भ में, 5,89.92 लाख रुपये का मार्च 1987 में लिया गया अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

2. मार्च 1987 में 27.69 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत रही तथा अभ्यर्षित कर दी गई। 1,52.07 लाख रुपये की अन्तिम बचत रही; संभावित बचत का अनुमान इसके अभ्यर्षण को सुगम बनायेगा यह वास्तविक प्रकट नहीं होता।

3. अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में रही :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिव्यय+ बचत—
			(लाख रुपयों में)

255. पुलिस

(ड) (i) सामान्य पुलिस

मू.	54,46.49			
अ.	3,17.86	58,08.19	57,40.54	-67.65
पु.	43.84			

पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी 43.84 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि मुख्य रूप से यात्रा व्यय के अतिरिक्त वायदों को पूरा करने के लिये ली गई। 67.65 लाख रुपये की अन्तिम बचत कुछ पदों के रिक्त रहने तथा संशोधित वेतनमान में वेतन के स्थिरीकरण के बकाया का कम भुगतान और मोटर वाहनों के अनुरक्षण का भुगतान अनुमान से कम होने को आरोपित की गई।

(छ) (i) पुलिस का सिपाही दल

मू.	12,64.72			
अ.	35.08	12,81.55	12,41.09	-40.46
पु.	-18.25			

18.25 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत (i) पदों के रिक्त रहने और (ii) मशीनरी तथा उपकरणों की कम खरीद को आरोपित की गई। 40.46 लाख रुपये की अन्तिम बचत राज्य से बाहर नियुक्त आर.ए.सी. बटालियन के छातों का कम समायोजन होने को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 17-कारागार

मुख्य शीर्ष: 256. कारागार

	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिव्यय+ बचत— रु.
--	---------------------------------	----------------------	-------------------------

राजस्व

दत्तमत

मूल	5,62,14,000		
अनुपूरक	14,42,000	5,76,56,000	5,65,37,052 -11,18,948

वर्ष के दौरान अभ्यर्षित

राशि (मार्च 1987)

23,25,000

अनुदान संख्या 17-(समाप्त)

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य + वचत-
		रु.	रु.	रु.
प्रभारित				
मूल	5,000	22,000	..	-22,000
अनुपूरक	17,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टिप्पणियां तथा टीकाएं				

1. दत्तमत अनुदान में 11.19 लाख रुपये की सम्पूर्ण वचत को देखते हुये, मार्च 1987 में लिया गया 14.42 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान वास्तविक मांग से अधिक था।

2. यद्यपि मार्च 1987 में 23.25 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई थी, फिर भी दत्तमत अनुदान में अन्ततः वचत केवल 11.19 लाख रुपये रही।

अनुदान संख्या 18-जन सम्पर्क
मुख्य शीर्ष : 285. सूचना और प्रचार

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य + वचत-
		रु.	रु.	रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	2,07,93,000	2,21,18,000	2,04,01,249	-17,16,751
अनुपूरक	13,25,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)				15,67,000
प्रभारित				
मूल	1,000	1,000	..	-1,000
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)				1,000
टिप्पणियां तथा टीकाएं				

1. अनुदान में 17.17 लाख रुपये की अन्तिम वचत के संबंध में, मार्च 1987 में 13.25 लाख रुपये की ली गई अनुपूरक अनुदान अनावश्यक थी।

अनुदान संख्या 18—(समाप्त)

2. बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत—
(श) सामुदायिक रेडियो एवं टेलीवीजन			
मू.	10.55	3.87	3.86
पु.	-6.68		-0.01

6.68 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत नई मशीनरी की खरीद न होने और पंचायत समितियों में टेलिविजनों का संचालन प्रमाणित न होने को आरोपित की गई।

(ड) क्षेत्र प्रचार

मू.	59.94			
अ.	3.70	57.64	57.03	-0.61
पु.	-6.00			

6 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कुछ पवों रिक्त रहने एवं कर्मचारियों को 1986 में लागू की गयी संशोधित वेतनमान के बकाया राशि का भुगतान न होने को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 19—लोक निर्माण कार्य

मुख्य शीर्ष : राजस्व-259. लोक निर्माण कार्य

पूँजी—459. लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय, 477. शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, 480. चिकित्सा पर पूँजीगत परिव्यय, 481. परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय, 484. नगर विकास पर पूँजीगत परिव्यय, 485. सूचना एवं प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय, 488. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय, 495. अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, 505. कृषि पर पूँजीगत परिव्यय, 506. लघु सिंचाई, भू-संरक्षण और क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय, 510. पशु पालन पर पूँजीगत परिव्यय, 513. वनों पर पूँजीगत परिव्यय, 514. सामुदायिक विकास पर पूँजीगत परिव्यय, 528. खनन और धातु कर्मक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय और 533. सिंचाई, नौ-परिवहन, जल निकास और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य + बचत— रु.
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	55,91,95,000	57,68,26,000	58,13,59,691
अनुपूरक	1,76,31,000		+45,33,691
वर्ष के दौरान अर्भरपत राशि (मार्च 1987)			13,73,000

अनुदान संख्या 19- (क्रमशः)

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य + बचत— रु.
प्रभारित				
मूल	10,000	2,84,000	58,289	-2,25,711
अनुपूरक	2,74,000			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि
पूँजी
दत्तमत

मूल	18,59,34,000	19,65,96,000	17,12,85,311	-2,53,10,689
अनुपूरक	1,06,62,000			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (मार्च 1987)

2,13,16,000

प्रभारित

मूल	..	10,000	..	-10,000
अनुपूरक	10,000			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (मार्च 1987)
टिप्पणियाँ तथा टीकाएं
राजस्व
दत्तमत

10,000

1. व्यय अनुदान से 45,33,691 रुपये अधिक हुआ ; जिसका नियमन अपेक्षित है ।

2. 1,76.31 लाख रुपये का कुल अनुपूरक अनुदान अक्टूबर 1986 (21.47 लाख रुपये) और मार्च 1987 (154.84 लाख रुपये) में मुख्यतः (i) नई मशीनरी और सयंत्र खरीदने में अधिक व्यय पूर्ति हेतु, (ii) स्टॉक खाते में समायोजन हेतु और (iii) बोनस और अतिरिक्त मंहगाई भत्ता पूर्ति हेतु और यात्रा भत्ता तथा चिकित्सा पुनर्भरण के अधिक दावे का भुगतान करने हेतु लिया गया ।

प्रभारित

3. विनियोजन में 2.26 लाख रुपये की अंतिम बचत के सम्बन्ध में, मार्च 1987 में 2.74 लाख रुपये का लिया गया अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ ।

4. आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्षों में हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत—
259. लोक निर्माण कार्य			
(i) उच्चत			
(ii) स्टॉक			
2. प्रभार			
मूल	32,00.00	32,00.00	32,49.43
			+ 49.43

49.43 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण संयुचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988) ।

अनुदान संख्या 19-(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत-
(लाख रुपयों में)			

(च) मशीनरी और उपकरण

(i) नयी आपूर्ति

मू.	40.00	61.00	67.81	+ 6.81
अ.	21.00			

6.81 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण संयुचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

(घ) अनुरक्षण और मरम्मत
मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण
विभाग (भवन एवं पथ),
जयपुर के माध्यम से

- विशेष मरम्मत
- सामान्य मरम्मत

मू.	5,60.00	6,08.88	6,15.52	+ 6.64
अ.	40.00			
पु.	8.88			

कुल 48.88 लाख रुपये की अतिरिक्त निधि का आवर्धन 31 मार्च 1987 को अनुपूर्क अनुदान में (40 लाख रुपये) और पुनर्विनियोजन द्वारा (8.88 लाख रुपये) मुख्यतः अनुरक्षण व मरम्मत निर्माण कार्य के अधिक निष्पादन के कारण होना बताया गया। 6.64 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण संयुचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

5. उपरोक्त टिप्पणी 4 में आधिक्य निम्नलिखित शीर्षों में आंशिक रूप से बचत द्वारा प्रतिसंतुलित की गई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत -
(लाख रुपयों में)			

259. लोक निर्माण कार्य

(ग) निर्माण

मू.	24.02	29.24	23.09	- 6.15
अ.	15.00			
पु.	-9.78			

9.78 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत कार्यों की धीमी प्रगति तथा अनुमान से कम संख्या में कार्यों के निष्पादन के कारण हुई। 6.15 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण संयुचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

अनुदान संख्या 19- (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य- बचत-
		(लाख रुपयों में)	
(घ) अनुरक्षण और मरम्मत मृदुय अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ), जयपुर के माध्यम से			
3. अन्य मदें			
(vii) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा- स्थ्य विभाग के माध्यम से			
मू.	40.00	31.20	27.06
पु.	-8.80		-4.14

8.80 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्यों के अनुमान से कम निष्पादन होने के कारण हुई। 4.14 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

6. उच्चत-लघु शीर्ष "उच्चत" में अन्तरिम लेन-देन के रूप की वे प्राप्तियां और संवितरण सम्मिलित हैं जहां उनको अन्तिम रूप देने और लेखांकित करने के पूर्व आगे भुगतान अथवा मूल्य का समायोजन आवश्यक है। तदनुसार उच्चत के अन्तर्गत राशि वर्षानुवर्ष अग्रेनीत की जाती है। जैसा नीचे स्पष्ट किया गया है लोक-निर्माण कार्यों के लेखे में उच्चत के तीन उप-भाग हैं, यथा (i) स्टॉक, (ii) विविध निर्माण कार्य पेशगियां तथा (iii) वर्कशाप उच्चत :-

(i) स्टॉक.-इस शीर्ष के अन्तर्गत किसी विशेष निर्माण कार्य के लिये नहीं अपितु खण्ड में सामान्य उपयोग के लिये जो सामग्रियां प्राप्त की जाती हैं, का मूल्य लेखांकित किया जाता है। विशेष निर्माण कार्यों पर प्रयोग के लिये जारी की गई या बेची गई अथवा अन्य खण्डों को स्थानान्तरित सामग्रियों का मूल्य, अन्तरण द्वारा इस उप-भाग के अन्तर्गत लेखों से हटाया जाता है। प्राप्त सामग्रियों के मूल्य, जिसका उसी मास में भुगतान न किया गया हो, का अभिलेख रखने के लिये अब एक ब्यौरेदार शीर्ष 'खरीद' भी परिचालित किया गया है। अतः स्टॉक उप-भाग रखी गई सामग्रियों का पुस्तक मूल्य (बाजार मूल्यों से पृथक्) और विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रसार, यदि कोई हो जो इस उप-भाग को प्रभारित किये गये हों, में से अभी भुगतान किये जाने वाले या समायोजित किये जाने वाले सामान का मूल्य घटाकर, रहूँ शेष को दर्शाता है।

(ii) विविध-निर्माण कार्य पेशगियां.- इस उप-भाग में उधार बेची गई सामग्री का मूल्य, जसा निर्माण-कार्यों पर प्राप्त जमा से अधिक किया गया व्यय, खोई गई नकद राशि, अपलेखित न की गई रोकड़ भंडार सामग्रियों में हानियां तथा सरकारी कर्मचारियों आदि से वसूली योग्य राशियां लेखाबद्ध की जाती हैं। शेष वसूली योग्य राशि के द्योतक हैं।

(iii) वर्कशाप उच्चत.- सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्कशापों में निष्पादित कार्यों अथवा अन्य संकायों के प्रसार, उनकी वसूली या समायोजन होने तक, इस उप-शीर्ष में पुस्तंकित किये जाते हैं।

1986-87 में इस अनुदान में उच्चत लेन-देनों का विश्लेषण उच्चत के विभिन्न उप-शीर्षों के अधीन प्रारम्भिक तथा अन्त शेष सहित नीचे दिया गया है:-

उच्चत लघु शीर्ष का उप-भाग	शेष प्रारम्भिक नामे (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामे (+) जमा (-)
		(लाख रुपयों में)		
स्टॉक	3,35.07	32,49.43	40,57.46	(-) 4,72.96
विविध निर्माण कार्य पेशगियां	2,78.07	2,43.27	3,16.40	2,04.94
योग	6,13.14	34,92.70	43,73.86	(-) 2,68.02

अनुदान संख्या 19-(क्रमशः)

पूँजी

वत्सत

1. अनुदान में 2,53.11 लाख रुपये की अन्तिम बचत के सन्दर्भ में और इस तथ्य के साथ कि वास्तविक व्यय मूल अनुदान 18,59.34 लाख रुपये से भी कम था, कुल 1,06.62 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अक्टूबर 1986 (67.10 लाख रुपये) तथा मार्च 1987 (39.52 लाख रुपये) मुख्यतः वाणिज्य कर विभाग के भवन के मरम्मत तथा मिनि सचिवालय के निर्माण के लिए लिया गया, अनावश्यक था। मार्च 1987 को 2,13.16 लाख रुपये अर्पित किये गये, जब कि अंततः बचत 2,53.11 लाख रुपये की रही।

2. प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों में हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत—
		(लाख रुपयों में)	

459. लोक निर्माण कार्यों पर

पूँजीगत परिव्यय

(ख) निर्माण

I. सामान्य भवन

(vii) सहकारिता

मू.	50.00	4.72	4.72	..
पु.	-45.28			

45.28 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत कार्यों की धीमी प्रगति को आरोपित की गई।

(ख) III—आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों
के अधीन प्रशासनिक सुधार
के अन्तर्गत भवनों का निर्माण

1. अन्य प्रशासनिक सेवायें
सामान्य प्रशासनिक भवन

मू.	97.40	20.64	20.49	-0.15
पु.	-76.76			

76.76 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत कार्यों की धीमी प्रगति को आरोपित की गई।

(ख) I(viii) कृषि

I. निदेशक, कृषि विभाग के अभिकरण के माध्यम से

मू.	50.00			
पु.	-50.00			

कार्यों का निष्पादन न होने के कारण समग्र प्रावधान अर्पित किया गया।

(ख) निर्माण

III. आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों
के अधीन प्रशासनिक सुधार
के अन्तर्गत भवनों का निर्माण

(iii) जेल प्रशासन

मू.	1,26.73	1,09.03	1,03.78	-5.25
पु.	-17.70			

17.70 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत कार्यों की धीमी प्रगति को आरोपित की गई।

5.25 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य- बचत-
		(लाख रुपयों में)	
(ख) I. सामान्य भवन			
(ii) अन्य प्रशासनिक सेवायें सामान्य प्रशासनिक भवन			
1. मुख्य अभियन्ता (भवन एवं पथ) के अभिकरण के माध्यम से			
मू.	1,33.64		
अ.	64.83	1,84.52	1,77.81
पु.	-13.95		-6.71

13.95 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत कार्यों की धीमी प्रगति को आरोपित की गई।
6.71 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

480. चिकित्सा पर पूंजीगत परिव्यय

क. एलोपैथी

(ख) चिकित्सा शिक्षा

(i) भवन

मू.	3,14.58			
		2,45.64	2,47.47	+1.83
पु.	-68.94			

क. एलोपैथी

(क) चिकित्सा सहायता

(i) भवन

मू.	64.27			
		26.44	26.83	+0.39
पु.	-37.83			

उपरोक्त दोनों शीर्षों में 1,06.77 लाख रुपये की कुल प्रत्याशित बचत कार्यों की धीमी प्रगति को आरोपित की गई।

506. लघु सिंचाई, भू-संरक्षण तथा क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय

(ख) क्षेत्र विकास कार्यक्रम

(i) इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास

I. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) के अभिकरण के माध्यम से

(iv) इन्दिरा गांधी नहर स्टेज II

2. सड़कें

मू.	46.00			
पु.	-46.00			

कार्यों का निष्पादन न होने पर समग्र प्रावधान अनुपयोजित रहा।

अनुदान संख्या 19-(समाप्त)

3. उपरोक्त टिप्पणी 2 में वर्णित शीर्षों में बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों में आंशिक रूप से प्रावधान पर आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित की गई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत-
(लाख रुपये में)			
459. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परव्यय			
(ख) निर्माण			
III आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अधीन प्रशासनिक सुधार के अन्तर्गत भवनों का निर्माण			
(ii) न्याय प्रशासन			
मू.	49.77	1,24.12	1,24.41
पु.	74.35		+ 0.29
506. लघु सिंचाई, भू-संरक्षण तथा क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परव्यय			
(ख) क्षेत्र विकास कार्यक्रम			
(i) इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास			
I. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) के अभिकरण के माध्यम से			
(ii) सड़कें			
2. इन्दिरा गांधी नहर			
फेज II			
मू.	1,49.10	2,41.50	2,41.33
पु.	92.40		- 0.17

उपरोक्त दोनों शीर्षों में 1,66.75 लाख रुपये की कुल अतिरिक्त निधि कार्य की गति तेज होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा 31 मार्च 1987 को उपलब्ध कराई ।

अनुदान संख्या 20-आवास

मुख्य शीर्ष: राजस्व-283. आवास

पूँजी -483. आवास पर पूँजीगत परिव्यय और

683. आवास के लिए कर्जें

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य + वचत- रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	4,97,33,000	5,16,10,000	5,11,88,563	-4,21,437
अनुपूरक	18,77,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)				1,000
प्रभारित				
मूल	2,000	2,000	1,795	-205
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)				2,000
पूँजी				
मूल	4,65,95,000	4,70,65,000	3,69,77,098	-1,00,87,902
अनुपूरक	4,70,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)				87,15,000

टिप्पणियां तथा टीकाएं

पूँजी

दत्तमत

1. अनुदान में 100.88 लाख रुपये की अन्तिम वचत के सन्दर्भ में, 4.70 लाख रुपये की ली गई अनुपूरक अनुदान अनावश्यक थी क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम हुआ।

2. वचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + वचत-
		(लाख रुपयों में)	

483. आवास पर पूँजीगत परिव्यय

ख. अन्य आवास योजना

(क) किराया गृह योजना

(i) 1. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) के अधिकरण के माध्यम से

मू.	1,13.64	40.41	38.72	-1.69
घु.	-73.23			

अनुदान संख्या 20—(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत—
	(लाख रुपयों में)		
ख (क) II आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अधीन भवनों का निर्माण			
(ii) जेल अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु भवन			
मू. 29.43	13.37	13.75	+ 0.38
पु. -16.06			
(क) II आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अधीन भवनों का निर्माण			
(i) न्यायिक अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु भाटक आवासीय भवन			
मू. 13.06	..	..	..
पु. -13.06			

उपरोक्त तीनों शीर्षों में 102.35 लाख रुपये की कुल प्रत्याशित बचत कार्य की धीमी प्रगति को आरोपित की गई ।

683. आवास के लिये कर्ज

(घ) अल्प आय वर्ग आवास योजना

मू. 93.60	73.60	64.23	-9.37
पु. -20.00			

20 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मूल अनुमानों से ऋणों का विस्तार कम होने को आरोपित की गई । अन्तिम बचत अल्प आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत ऋणों की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्रों के कम प्राप्त होने को आरोपित की गई ।

3. उपरोक्त टिप्पणी 2 में वर्णित बचत मुख्यतः अनुदान में अन्य निश्चित शीर्षों में हुये आधिक्य से आंशिक रूप से प्रति संतुलित हुई ।

अनुदान संख्या 21—सड़कें एवं पुल

मुख्य शीर्ष: राजस्व-337. सड़कें एवं पुल

पूंजी-537. सड़कें एवं पुल पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत—
वस्तुमत	रु.	रु.	रु.
मूल 61,24,53,000	81,58,23,000	81,19,23,857	-38,99,143
अनुपूरक 20,33,70,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			

अनुदान संख्या 21-(क्रमशः)

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिशेष- बचत -
		रु.	रु.	रु.
प्रभारित				
मूल	1,000	1,000	..	-1,000
अनुपूरक	..	..	..	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)				1,000
पूँजी वस्तुगत				
मूल	23,09,60,000	37,64,13,000	30,88,28,343	-6,75,84,657
अनुपूरक	14,54,53,000	..	..	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)				1,51,77,000
प्रभारित				
मूल	..	16,000	..	-16,000
अनुपूरक	16,000	..	..	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)				16,000
टिप्पणियाँ तथा टीकाएं राजस्व				

1. केन्द्रीय सड़क निधि से सहायता.—मोटर स्प्रिट पर उत्पाद एवं आयात शुल्कों से प्राप्त राजस्व का एक भाग भारत सरकार द्वारा गठित केन्द्रीय सड़क निधि में जमा किया जाता है। उस निधि से राज्यों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास योजनाओं पर व्यय करने के लिए कुल जमाओं का 80 प्रतिशत अर्थ सहाय्य प्रदान किया जाता है। अर्थ सहाय्य के रूप में प्राप्त राशि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदानों के रूप में लेखों में जमा की जाती है तथा इसीलिए इस अनुदान में किये गये प्रावधान में से लोक लेख के अन्तर्गत निक्षेप शीर्ष 'केन्द्रीय सड़क निधि' में अन्तरित कर दी जाती है।

प्रतिवर्ष इस अनुदान के अन्तर्गत पुस्तान्वित किया गया व्यय, सरकार द्वारा निर्णीत सीमा तक, इस अनुदान के अन्तर्गत व्यय में से कम करके निक्षेप शीर्ष में से राशि के अन्तरण द्वारा पूरित किया जाता है।

वर्ष के दौरान 27.89 लाख रुपये का अर्थ सहाय्य प्राप्त हुआ, अनुमोदित योजनाओं पर वर्ष के दौरान 27.21 लाख रुपये व्यय किये गये।

31 मार्च 1987 को निक्षेप शीर्ष में जमा शेष 63.82 लाख रुपये था।

अनुदान संख्या 21-(कमशा)

1986-87 के दौरान निक्षेप शीर्ष के लेन-देनों का लेखा वित्त लेख 1986-87 के विवरण संख्या-16 में दिया गया है।

पूँजी

1. अनुदान में 6,75.85 लाख रुपये की अंतिम बचत के सन्दर्भ में, अक्टूबर 1986 (6 लाख रुपये) और मार्च 1987 (14,48.53 लाख रुपये) में 14,54.53 लाख रुपये का लिया गया अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

2. 6,75.85 लाख रुपये की अंतिम बचत में से 5,24.08 लाख रुपये अनअभ्यपित रहे।

3. अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों में हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत-
537. सड़कें एवं पुल पर पूँजीगत परिव्यय			
(ज) (v) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्यों पर भारत सरकार से प्राप्त निःशुल्क गेजों के रूप में मजदूरी व्यय			
अ.	13,50.00	13,50.00	7,14.74
			-6,35.26

6,35.26 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

(ड) (iii) गहन मजदूरी कार्यों के अन्तर्गत सड़कें-
अकाल राहत कार्य

मू.	75.45			
पु.	-75.45			

(ड) (iv) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

मू.	7,18.18			
पु.	-72.73	6,45.45	6,45.99	+0.54

(ख) (i) निर्माण

मू.	1,00.00			
पु.	-59.50	40.50	40.50	..

अनुदान संख्या 21—(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत—
-------	------------	-----------------------------------	------------------

(घ) (i) और (ii) निर्माण और विकास

बू.	4,04.55	3,50.91	3,45.76	-5.15
पु.	-53.64			

(ङ) (ii) ग्रामीण सड़कें

2. विकास

बू.	45.45	36.00	..	-36.00
पु.	-9.45			

उपरोक्त पांच शीर्षों में 3,11.92 लाख रुपये की कुल बचत कार्यों की धीमी प्रगति को आरोपित की गई ।

4. उपरोक्त टिप्पणी (8) में वर्णित शीर्ष के अन्तर्गत बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में आधिक्य के द्वारा अंशतः प्रतिसन्तुलित की गई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत—
-------	------------	-----------------------------------	------------------

(ग) 2. सीमा सड़क विकास मण्डल द्वारा

(ii) निर्माण

बू.	5,80.00	7,31.48	8,37.27	+1,05.79
ख.	0.53			
पु.	1,50.95			

1,50.95 लाख रुपये की कुल निधि का प्रावर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा कार्य की त्वरित प्रगति के लिए किया गया था। 1,05.79 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण संतुलित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988) ।

(ङ) (ii) ग्रामीण सड़कें

1. निर्माण	..	36.79	+36.79
------------	----	-------	--------

कितनी भी बजट प्रावधान के न होने के कारण व्ययों में वृद्धि हुई ।

का
अनुदान संख्या 22- क्षेत्र विकास (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व- 299. विशेष तथा पिछड़े क्षेत्र और

308. क्षेत्र विकास

पूँजी-499. विशेष तथा पिछड़े क्षेत्रों पर पूँजीगत परिव्यय और

506. लघु सिंचाई, भू-संरक्षण तथा क्षेत्र विकास पर पूँजी-
गत परिव्यय

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत-
	रु.	रु.	रु.
राजस्व			
मूल	34,88,61,000	59,36,58,000	54,58,43,943 -4,78,14,057
अनुपूरक	24,47,97,000		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			4,33,31,000
पूँजी			
मूल	4,30,00,000	11,43,54,000	5,83,82,492 -5,59,71,508
अनुपूरक	7,13,54,000		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			5,62,79,000
टिप्पणियां तथा टीकाएं			
राजस्व			

1. 4,78.14 लाख रुपये की अन्तिम बचत के संदर्भ में, अक्टूबर 1986 एवं मार्च 1987 में 24,47.97 लाख रुपये का लिया गया अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

2. 4,78.14 लाख रुपये की अन्ततः बचत में से, 44.83 लाख रुपये अनुअभ्यर्पित रहे।

3. बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में रही :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत-
			(लाख रुपयों में)
308. क्षेत्र विकास			
(क) आयाकट विकास			
(4) I(i) राजस्थान भूमि विकास निगम को भूमि विकास हेतु सहायतार्थ अनुदान			
मू.	10,77.32	6,14.36	..
पु.	-4,62.96		
4,62.96 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत (i) काम की कम संख्या में स्वीकृति और (ii) भारत सरकार से कम सहायता प्राप्त होने को आरोपित की गई।			

अनुदान संख्या 22-(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत-
(ख) मरु क्षेत्रों का विकास			
(v) मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ओबीरा नगर			

IV निष्पादन

जिला ग्राम विकास अभिकरण
को सहाय्यार्थ अनुदान

मू.	90.39	64.49	64.49	..
अ.	- 25.90			

अनुपूरक अनुदान द्वारा 25.90 लाख रुपये की मूल प्रावधान में कमी वित्तीय नियमों के अनुरूप नहीं है। नियम के गलत प्रयोग तथा बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

4. उपरोक्त टिप्पणी 3 में वर्णित बचत आंशिक रूप से निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित की गई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
-------	------------	----------------------------------	-------------------

(क) आर्थिक विकास

1. I (iii) फार्म विकास

जोड़िये-मुख्य शीर्ष 533-सिंचाई,
नौ-परिवहन तथा बाढ़ नियंत्रण
परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय

मू.	2,63.42	2,85.30	2,85.30	..
पु.	21.88			

21.88 लाख रुपये की निधि के आवर्धन के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

5 मण्डी विकास निधि.—चम्बल सिंचाई परियोजना द्वारा सिंचित अथवा इससे लाभान्वित क्षेत्र की मण्डियों का तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए, 1965-66 में मण्डी विकास निधि स्थापित की गई थी।

इस निधि में, जो कि एक व्याज रहित रिजर्व हैं, मण्डियों में भूमि के अनुमानित विक्रय मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर राजस्व से वार्षिक अंशदानों से राशि आती है।

1986-87 के दौरान निधि में कोई अंशदान नहीं किया गया। मण्डियों के विकास पर व्यय भी नहीं किया गया। 31 मार्च 1987 में 6.37 लाख रुपये की निधि का जमा शेष था।

अनुदान संख्या 22-(समाप्त)

पूँजी

1. 5,59.71 लाख रुपये की अन्तिम बचत के सन्दर्भ में, मार्च 1987 में लिया गया 7,13.54 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

2. बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में रही :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
499. विशेष तथा पिछड़े क्षेत्रों पर पूँजीगत परिव्यय			
ड(क) I (i) 4. सड़कों का निर्माण			
अ. 5,50.00	2,55.75	2,56.93	+ 1.18
पु. -2,94.25			
(ii) (2) ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत भवन निर्माण			
अ. 63.50	25.00	20.11	- 4.89
पु. -38.50			
(ii) (3) पुलिस भवन			
अ. 60.04	30.00	28.36	- 1.64
पु. -30.04			

उपरोक्त तीनों शीर्षों में 3,62.79 लाख रुपये की कुल प्रत्याशित बचत योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी को आरोपित की गई। अन्तिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

506. लघु सिंचाई, भू-संरक्षण तथा
क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय

(ख) (4) मरु क्षेत्र का विकास

(1) गाठवें वित्त आयोग की सिफारिशों

के द्वारा निर्माण कार्य

मू.	2,00.00	..	..	..
पु.	-2,00.00			

समग्र प्रावधान का अभ्यर्पण मुख्यतः राजस्थान सरकार द्वारा मरु क्षेत्रों में निर्माण कार्य की योजना को स्वीकृति नहीं देने के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 23-श्रम एवं रोजगार

मुख्य शीर्ष : -287. श्रम एवं रोजगार और

314. सामुदायिक विकास

	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत - रु.
राजस्व दत्तमत			
मूल	44,36,06,000	1,83,87,13,000	1,57,59,46,720
अनुपूरक	1,39,51,07,000		-26,27,66,280
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			3,31,30,000
प्रभारित			
मूल	1,000	1,000	..
अनुपूरक	..		-1,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			1,000

टिप्पणियां तथा टीकाएं

1. अनुदान में 26,27.66 लाख रुपये की अन्तिम बचत के संदर्भ में, मार्च 1987 में 3,31.30 लाख रुपये का अभ्यर्पण अवास्तविक हुआ।

2. अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत - (लाख रुपयों में)
-------	------------	---------------	--------------------------------------

314. सामुदायिक विकास

ग (क) (iii) II-अन्य कार्यक्रम

मू.	17,60.80			
अ.	85,50.86	66,42.37	66,43.41	+1.04
पु.	-36,69.29			

36,69.29 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पश्च-बजट निर्णय को आरोपित की गई तथा 3,582 लाख रुपये का व्यय शीर्ष "314 ग (क) (v) I-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम" में हुआ बताया गया तथापि बाद में प्राप्त आंकड़ों से यह देखा गया कि इस मद को पुनर्विनियोजित 3,582 लाख रुपये की कुल राशि अनुपयोजित रही।

अनुदान संख्या 23-(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत-
(लाख रुपयों में)			

ग(क) (v) बेरोजगारी कार्यक्रम
के अन्तर्गत रोजगार के
अवसर उपलब्ध कराने हेतु
भारत सरकार से प्राप्त
मुफ्त खाद्यान्न सामग्री

I-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

पु.	35,82.00	35,82.00	..	-35,82.00
-----	----------	----------	----	-----------

3,582 लाख रुपये के समस्त प्रावधान के अनुपयोजित रहने के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988) ।

ग(क) (iv) II-जिला ग्रामीण विकास
अभिकरणों को सहायतार्थ अनुदान

मू.	19,26.60	26,16.12	26,23.12	+7.00
अ.	12,72.27			
पु.	-5,82.75			

5,82.75 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पश्च-बचट निर्णय को आरोपित की गई तथा 582 लाख रुपये का व्यय शीर्ष "314 ग (क) (v) II- ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम" के अन्तर्गत हुआ बतलाया गया तथापि बाद में प्राप्त आंकड़ों से यह देखा गया कि इस मद को पुनर्विनियोजित 582 लाख रुपये की कुल राशि अनुपयोजित रही ।

ग(क) (v) बेरोजगारी कार्यक्रम के
अन्तर्गत रोजगार के
अवसर उपलब्ध
कराने हेतु भारत
सरकार से प्राप्त
मुफ्त खाद्यान्न सामग्री

II-ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी
कार्यक्रम

पु.	5,82.00	5,82.00	..	-5,82.00
-----	---------	---------	----	----------

582 लाख रुपये के समस्त प्रावधान के अनुपयोजित रहने के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988) ।

अनुदान संख्या 23-(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य+ बचत-
ग(ख) (i) अग्रिम योजना सहायता के अन्तर्गत सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को सहायताार्थ अनुदान			
मू.	90.00		
अ.	31,70.67	31,18.76	31,11.86
पु.	-1,41.91		-6.90

1,41.91 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अग्रिम योजना सहायता के अन्तर्गत सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु भारत सरकार से स्वीकृति के प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गई।

ग(क) (iv) III-पंचायती राज
संस्थाओं को सहायताार्थ अनुदान

अ.	31.00	..	..	..
पु.	-31.00			

समस्त प्रावधान भूमिहीन ग्रामीणों को रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के सहाय्य हेतु भारत सरकार से स्वीकृति के प्राप्त न होने के कारण अनुपयोजित रहा।

3. उपरोक्त टिप्पणी 2 में उल्लिखित शीर्षों में 85,95.85 लाख रुपये की कुल बचत अन्य शीर्षों के अन्तर्गत आंशिक रूप से हुये आधिक्य व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित की गई।

अनुदान संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति
मुख्य शीर्ष: राजस्व-265. अन्य प्रशासनिक सेवाएं,

277. शिक्षा,

278. कला एवं संस्कृति और

295. अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवाएँ

पूँजी-677. शिक्षा, कला तथा संस्कृति के लिये कर्ज

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत-
रु.	रु.	रु.

राजस्व

दत्तमत

मूल 3,74,82,96,000 |

अनुपूरक 13,000 |

3,74,83,09,000 3,62,73,27,233 -12,09,81,767

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित

राशि (मार्च 1987)

4,11,35,000

प्रभारित

मूल 30,000 |

अनुपूरक .. |

30,000

641

-29,359

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित

राशि (मार्च 1987)

27,000

अनुदान संख्या 24-(क्रमशः)

पूँजी	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य + बचत- रु.
दत्तमत			
मूल	12,90,000		
अनुपूरक	60,000	13,50,000	11,13,921
			-2,36,079
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			2,36,000
टिप्पणियां तथा टीकाएं			
राजस्व			
दत्तमत			

1. अनुदान में 12,09.82 लाख रुपये की अन्तिम बचत के सन्दर्भ में, मार्च 1987 में केवल 4,11.35 लाख रुपये का अभ्यर्पण विधिसंगत नहीं था, जब कि 7,98.48 लाख रुपये अनभ्यर्पित रहे।

2. अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत-
277. शिक्षा			
ख-माध्यमिक शिक्षा			
(ग) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(i) लड़कों के विद्यालय			
मू.	96,27.79	93,38.05	92,40.36
पु.	-2,89.74		-97.69

2,89.74 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कुछ पदों के रिक्त रहने और (ii) सितम्बर 1986 में लागू की गयी संशोधित वेतनमान में वेतन स्थिरीकरण के बकाया का भुगतान न होने को आरोपित की गई। 97.69 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

ड-विश्वविद्यालय और अन्य
उच्च शिक्षा

(ग) सरकारी महाविद्यालय
(ii) राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिये)

मू.	15,29.01	15,30.33	12,58.65	-2,71.68
पु.	1.32			

अन्तिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

अनुदान संख्या 24- (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत-
	(लाख रुपयों में)		

क-प्राथमिक शिक्षा

- (क) राजकीय प्राथमिक विद्यालय
(v) बालकों के लिये प्राथमिक विद्यालय

मू.	17,69.38	16,65.17	16,00.90	-64.27
पु.	-1,04.21			

क-प्राथमिक शिक्षा

- (ग) प्राथमिक शिक्षा के लिये
स्थानीय निकायों को सहायता
(i) पंचायत समितियों को
प्राथमिक विद्यालयों के लिये सहायता

1. सहायतार्थ अनुदान/अंशदान/सहाय्य

मू.	60,70.36	59,73.75	59,60.70	-13.05
पु.	-96.61			

उपरोक्त दो शीर्षों में 2,00.82 लाख रुपये की कुल प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कुछ पदों के रिक्त रहने, (ii) सितम्बर 1986 में लागू की गयी संशोधित वेतनमान में वेतन स्थिरीकरण के बकाया का भुगतान न होने और (iii) मितव्ययता को आरोपित की गई। 77.32 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

ग-विशेष शिक्षा

- (क) प्रौढ़ शिक्षा
(ii) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं की योजना

मू.	3,68.74	3,09.68	2,96.23	-13.45
पु.	-59.06			

72.51 लाख रुपये की कुल बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

अनुदान संख्या 24-(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत-
		(लाख रुपये में)	

क-प्राथमिक शिक्षा

- (ग) प्राथमिक शिक्षा के लिये स्थानीय निकायों को सहायता
(व) पंचायत समितियों को विशेष पोषाहार कार्यक्रम के लिये सहायता

1. सहाय्यतार्थ अनुदान/अंशदान/सहाय्य

मू.	61.00
पु.	-61.00

61 लाख रुपये के समग्र प्रावधान का अभ्यर्पण व्यय के अन्य शीर्ष में समावेश होने के कारण हुआ।

क-प्राथमिक शिक्षा

- (ख) गैरसरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता
(i) बालकों के लिये उच्च प्राथमिक विद्यालय

1. सहाय्यतार्थ अनुदान/अंशदान/सहाय्य

मू.	1,41.41	1,11.08	1,22.75	+ 11.67
पु.	-30.33			

30.33 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अनुदान प्राप्त संस्थाओं द्वारा महंगाई भत्तों के दावे एवं बकाया के दावे प्रस्तुत न करने को आरोपित की गयी। 11.67 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

ड-विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षा

- (ख) गैर तकनीकी शिक्षा के लिये विश्वविद्यालयों को सहायता

- (ii) जोधपुर विश्वविद्यालय को अनुदान

मू.	5,65.86	5,81.50	5,28.42	-53.08
पु.	15.64			

31 मार्च 1987 को पुनर्विनियोजन द्वारा 15.64 लाख रुपये की अतिरिक्त निधि का आवर्धन मुख्यतः वोनस तथा सितम्बर 1986 में लागू संशोधित वेतनमान में वेतन के स्थिरीकरण के बकाया भुगतान के बायबों को पूरा करने के कारण किया गया। 53.08 लाख रुपये की अन्तिम बचत को देखते हुए बजट प्रावधान का आवर्धन वास्तविक आधार पर नहीं किया गया। बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

अनुदान संख्या 24- (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत-
		(लाख रुपयों में)	

ड- विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षा

(ख) गैरतकनीकी शिक्षा के लिये
विश्वविद्यालयों को सहायता

(iii) उदयपुर विश्वविद्यालय को अनुदान

मू.	1,79.91	1,90.71	1,49.41	-41.30
पु.	10.80			

31 मार्च 1987 को पुनर्विनियोजन द्वारा 10.80 लाख रुपये की अतिरिक्त निधि का आव-
र्धन मुख्यतः बोनस तथा सितम्बर 1986 में लागू संशोधित वेतन मान में वेतन के स्थिरीकरण के
बकाया का भुगतान के वायदों को पूरा करने के कारण किया गया। अन्तिम बचत 41.30 लाख रुपये
की रही, जिसके कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

च-तकनीकी शिक्षा

(घ) गैर सरकारी तकनीकी
महाविद्यालयों और संस्थानों को
सहायता(iii) इन्जीनियरिंग कॉलेज सोसायटी,
कोटा

मू.	2,00.90	2,00.90	1,78.27	-22.63
-----	---------	---------	---------	--------

22.63 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

पूँजी

दत्तमत

बचत मुख्यतः निम्न में रही :—

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक व्यय

आधिक्य+
बचत-

(लाख रुपयों में)

677. शिक्षा, कला तथा संस्कृति के लिये
कर्ज(क) विश्वविद्यालय और अन्य उच्चतर
शिक्षा

(i) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति

मू.	12.90	11.14	11.14	..
अ.	0.60			
पु.	-2.36			

2.36 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः छात्रों से ऋण छात्रवृत्ति के लिये कम मांग
को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 25 - कोषागार व लेखा प्रशासन
मुख्य शीर्ष: 254. कोषागार व लेखा प्रशासन

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत- रु.
राजस्व				
—				
दत्तमत				
मूल	7,53,08,000	7,57,16,000	7,11,85,253	-45,30,747
अनुपूरक	4,08,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)				
42,34,000				

प्रभारित				
मूल	2,000	2,000	..	-2,000
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)				2,000

टिप्पणियां और टीकाएं

राजस्व

दत्तमत

1. मार्च 1987 में लिया गया 4.08 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक रहा क्योंकि 7,11.85 लाख रुपये का वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम था।

2. अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में हुई :--

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत-
(घ) प्रशिक्षण			
(i) लेखा प्रशिक्षण विद्यालय			

मू.	33.63	12.95	12.75	-0.20
पु.	-20.68			

20.68 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या में कमी को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 25—(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + वचत—
(ड) अन्य व्यय			
(i) भविष्य निधि खातों के संधारण के लिये स्थापना			
मू.	1,46.47	1,26.05	1,25.09
पु.	-20.42		-0.96

20.42 लाख रुपये की प्रत्याशित वचत मुख्यतः (i) कुछ पदों के रिक्त रहने, (ii) मितव्ययता के कारण और (iii) सजदूरी के सुगतान की स्वीकृति नहीं प्राप्त होने को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 26—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

मुख्य शीर्ष : 267. सहायता सामग्री और उपकरण,

- 280. चिकित्सा,
- 281. परिवार कल्याण और
- 282. लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल प्रदाय

राजस्व	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य + वचत— रु.
वस्तुमत			
मूल	1,38,93,22,000	1,42,71,41,000	1,34,18,59,419
अनुपूरक	3,78,19,000		-8,52,81,581
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			5,44,18,000
प्रभारित			
मूल	57,000	1,01,000	43,423
अनुपूरक	44,000		-57,577
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			15,000
टिप्पणियां तथा टीकाएं			

1. यद्यपि 3,78.19 लाख रुपये का कुल अनुपूरक अनुदान अक्टूबर 1986 (0.75 लाख रुपये) और मार्च 1987 (3,77.44 लाख रुपये) मुख्यतः बड़ी हुई दरों पर संहर्गाई भत्ता और बोनस, मशीनरी की खरीद, मोटर गाड़ी का रख-रखाव, भेषज तथा दवाईयों की कीमत में वृद्धि इत्यादि के भुगतान के वायदों को पुरा करने के लिये लिखा गया फिर भी वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधानों से 4,56.36 लाख रुपये कम हुआ। वस्तुमत अनुदान में 8,52.82 लाख रुपये की अंतिम वचत के सन्दर्भ में, और इन परिस्थितियों में, आवश्यकता का वास्तविक रूप में आंकलन नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 26-(क्रमशः)

2. 8,52.82 लाख रुपये की अंतिम बचत के विपरीत, केवल 5,44.18 लाख रुपये की राशि मार्च 1987 में अध्यापित की गई थी।

3. दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में रही :—

शीर्ष	कुल अनुदान]	वास्तविक व्यय]	अधिक्य + बचत—
		(लाख रुपयों में)	

267. सहायता सामग्री और उपकरण

(क) यू.के. से सहायता

(i) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण)

मू.	2,46.00	2,00.00	..	-2,00.00
पु.	-46.00			

(ii) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (शहरी)

मू.	31.17	25.00	..	-25.00
पु.	-6.17			

(ख) यूनिसेफ से सहायता

(i) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण)

मू.	2,46.00	2,00.00	..	-2,00.00
पु.	-46.00			

(ii) राष्ट्रीय भय नियंत्रण कार्यक्रम

मू.	28.00	28.00	..	-28.00
-----	-------	-------	----	--------

(iii) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (शहरी)

मू.	31.18	25.00	..	-25.00
पु.	-6.18			

उपरोक्त पांच शीर्षों में समस्त प्रावधान के अनुपयोजित रहने के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

अनुदान संख्या 26-(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत-
		(लाख रुपयों में)	

(ग) सीडा (सूडान सरकार)
से प्राप्त सहायता

(i) राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण
कार्यक्रम

मू.	28.00	28.00	0.75	-27.25
-----	-------	-------	------	--------

27.25 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988) ।

280. चिकित्सा

क-एलोपैथी

(ख) चिकित्सा सहायता

III. अन्य चिकित्सालय और औषधालय

(vii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

मू.	13,28.64			
अ.	90.26	13,40.22	13,78.12	+37.90
पु.	-78.68			

क-एलोपैथी

(घ) शिक्षा

(i) मेडिकल कॉलेज, जयपुर

मू.	3,90.07			
अ.	15.01	3,54.99	3,65.35	+10.36
पु.	-50.09			

क. (ख) चिकित्सा सहायता

III अन्य चिकित्सालय और औषधालय

V. अन्य चिकित्सालय

मू.	7,43.62			
अ.	27.60	7,29.09	7,34.62	+5.53
पु.	-42.13			

उपरोक्त तीन शीर्षों में 1,70.90 लाख रुपये की कुल प्रत्याशित बचत मुख्यतः कुछ पदों के रिक्त रहने की आशंका की गई। 53.79 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988) ।

अनुदान संख्या 26-(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य- वचत-
ख. अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
(क) आयुर्वेदिक			
II. चिकित्सा सहायता			
(i) चिकित्सालय एवं औषधालय (निदेशक, आयुर्वेद विभाग के माध्यम से)			
मू.	13,84.80	13,57.84	13,36.59
पु.	-26.96		-21.25

26.96 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कुछ पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।
21.25 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

281. परिवार कल्याण]

(घ) प्रशिक्षण अनुसंधान और
सांख्यिकीय]

(ix) स्वास्थ्य अधिदर्शक योजना

मू.	2,30.00	1,30.00	1,07.52	-22.48
पु.	-1,00.00			

100 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः स्वास्थ्य अधिदर्शक योजना पर कम खर्च के कारण
पंचायत समितियों के निजी निधेय खाते में उनकी मांग के अनुसार कम राशि हस्तान्तरण करने को
आरोपित की गई। 22.48 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं
(अप्रैल 1988)।

(छ) क्षतिपूर्ति

IV-वेस्कटकी

मू.	7,41.00	7,75.00	6,81.31	-93.69
पु.	34.00			

93.69 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

(ज) अन्य सेवाएं और पूर्ति

(iii) प्रसवोत्तर केन्द्र

मू.	2,03.86	1,70.70	1,68.47	-2.23
पु.	-33.16			

33.16 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कुछ पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

282. लोक स्वास्थ्य, सफाई और

जल प्रदाय

क. लोक स्वास्थ्य और सफाई

(ख) रोगों की रोकथाम और नियंत्रण

(iii) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन

कार्यक्रम (शहरी)

मू.	1,00.38	67.21	84.15	+16.94
पु.	-33.17			

अनुदान संख्या 26-(समाप्त)

33.17 लाख रुपयेकी प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से मूल अनुमान से कम सहायता प्राप्त होने की आरोपित की गई। 16.94 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

4. उपरोक्त टिप्पणी 3 में वर्णित शीर्षों में बचत आंशिक रूप से निम्न शीर्षों में हुए आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित की गई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत—
		(लाख रुपयों में)	
267. सहायता सामग्री और उपकरण (च) संयुक्त राष्ट्र संघ से सहायता			
(ii) अन्तर्राष्ट्रीय बाल आघात फण्ड	1.14		+1.14

बजट प्रावधान के अभाव में अथवा अनुपूर्व अनुदान प्राप्त किये बिना ही हुये व्यय के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

282. लोक स्वास्थ्य, सफाई और
जल प्रदाय

क. लोक स्वास्थ्य और सफाई

(ख) रोगों की रोकथाम और नियंत्रण

(ii) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन
कार्यक्रम (ग्रामीण)

मू.	8,75.26	9,96.29	9,40.49	-55.80
पु.	1,21.03			

31 मार्च 1987 को पुनर्विनियोजन द्वारा 1,21.03 लाख रुपये की अतिरिक्त निधि डाक व तार तथा टेलीफोन की दरों में वृद्धि, यात्रा भत्ता और चिकित्सा के पुनर्भरण के लिये अधिक संख्या में टिकटों की प्राप्ति, मोटर वाहन के संधारण आदि के लिये ली गई। 55.80 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

अनुदान संख्या 27-जल प्रदाय योजना

मुख्य शीर्ष : राजस्व-282. लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल प्रदाय

पूँजी- 482. लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल प्रदाय पर पूँजीगत परिव्यय और

682. लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल प्रदाय हेतु कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत— रु.
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	77,11,56,000	89,66,60,000	89,38,49,754
अनुपूरक	12,55,04,000		-28,10,246

वर्ष के दौरान अर्पित
राशि (मार्च 1987)

54,000

अनुदान संख्या 27-(क्रमशः)

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत-
	रु.	रु.	रु.

प्रभारित]

मूल]	1,000			
अनुपूरक]	1,97,000	1,98,000	2,07,244	+9,244

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि
पूँजी

दत्तमत

मूल	1,39,86,43,000			
अनुपूरक	38,06,73,000	1,77,93,16,000	1,53,45,03,502	-24,48,12,498

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (मार्च 1987)

22,99,33,000

टिप्पणियां तथा टीकाएं

राजस्व

1. व्यय प्रभारित विनियोग से 9,244 रुपये अधिक हुआ, जिसका नियमन अपेक्षित है ।

2. (क) मूल्य ह्रास आरक्षित निधि-वाटर वर्क्स.-निक्षेप लेखा का प्रयोजन संयंत्र और मशीनों के नवीनीकरण और प्रतिस्थापन की लागत को पूरा करने के लिये पर्याप्त आरक्षित निधि की व्यवस्था करना है । इस अनुदान के प्रावधान में से इस निधि को अंतरण करने के लिये प्रति वर्ष एक निश्चित राशि पृथक चिह्नित की जाती है । 4,71.94 लाख रुपये की राशि 1986-87 में इस प्रकार अंतरित की गई थी । नवीनीकरण और प्रतिस्थापन पर इस निधि से 1986-87 में कोई व्यय नहीं किया गया । 31 मार्च 1987 को निधि में 39,65.42 लाख रुपये का जमा शेष बिल्लेख के विवरण संख्या-19 में शीर्ष "815" में सम्मिलित है ।

(ख) उच्चतम लेनदेन.-“उच्चतम” मद शीर्ष के अंतर्गत प्रदर्शित लेन-देनों की प्रकृति का स्पष्टीकरण विनियोग लेख की अनुदान संख्या -19 लोक निर्माण कार्य के नीचे टिप्पणी 6 में दिया गया है ।

अनुदान संख्या 27-(कमडा:)

1986-87 में इस अनुदान में लेखांकित लेन-देनों का विभिन्न उच्चत शीर्षों के अन्तर्गत विभाजन आदि शेष और अंतशेष के साथ नीचे दिया गया है :—

लघु शीर्ष 'उच्चत' के उपखण्ड	आदि शेष नामे (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	निवल नामे/जमा	अन्त शेष नामे (+) जमा (-)
					(लाख रुपयों में)
282. लोकस्वास्थ्य,					
सफाई और जलप्रदाय					
क्रय	(+) 92.44	..	..	..	(+) 92.44
स्टॉक	(-) 1,34.34	..	..	..	(-) 1,34.34
विविध निर्माण कार्य					
पेशगियां	(+) 14.85	..	..	..	(+) 14.85
कार्यशाला					
उच्चत	(-) 59.80	..	..	..	(-) 59.80
योग	(-) 86.85	..	..	..	(-) 86.85
पूँजी दत्तमत					

1. अनुदान में अन्तिम बचत 24,48.12 लाख रुपये के समदर्भ में, अक्टूबर 1986 एवं मार्च 1987 में लिया गया अनुपूर्वक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

2. 24,48.12 लाख रुपये की अन्ततः बचत में से 1,48.79 लाख रुपये अन अभ्यर्पित रहे।

3. अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
			(लाख रुपयों में)

482. लोक स्वास्थ्य, सफाई और
जल प्रदाय पर पूँजीगत
परिव्यय

(ग) ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम—

(i) अभिवृद्धि ग्रामीण जल प्रदाय योजना

मू.	50,00.00	27,00.00	27,28.61	+ 28.61
पु.	-23,00.00			

2,300 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से प्राप्त कम निधि को आरोपित की गई।

(घ) उच्चत

मू.	59,37.00	63,99.00	61,84.19	-2,14.81
अ.	4,62.00			

2,14.81 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

अनुदान संख्या 27-(कमशः)

शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक व्यय आधिन्य+
बचत-
(लाख रुपयों में)

(ख) नगरीय जल प्रदाय योजना

II-अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से
सहायता प्राप्त नगरीय जल
प्रदाय योजनाएं

(iii) जल प्रदाय योजना, बीकानेर

1. बृहद् निर्माण कार्य

मू. 90.00

9.01

9.01

पु. -81.08

(ख) II (ii) जल प्रदाय योजना,
जोधपुर

1. बृहद् निर्माण कार्य

मू. 1,71.17

1,27.93

1,29.34

+1.41

पु. -43.24

उपरोक्त दोनों शीर्षों में 1,24.32 लाख रुपये की कुल प्रत्याशित बचत अनुमान से कम संख्या में कार्यों के निष्पादन को आरोपित की गई।

(ग) ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम-

(iii) अन्य ग्रामीण जल प्रदाय
योजनाएं

जोड़िये-282. लोक स्वास्थ्य, सफाई
और जल प्रदाय से स्थानान्तरित
आनुपातिक व्यय

(i) स्थापना

मू. 3,88.42

3,49.06

3,36.62

-12.44

पु. -39.36

39.36 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अनुमानित आनुपातिक व्यय के ज्यादा समायोजन के कारण कार्य पर व्यय में हुई कमी को आरोपित की गई। 12.44 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

4. उच्चत लेन-देन.—1986-87 में पूंजी अनुभाग में लेखांकित लेन-देनों का उच्चत शीर्ष के अन्दर विभाजन आदि शेष और अन्तशेष के साथ नीचे दिया गया है:—

लघु शीर्ष 'उच्चत' के उप खण्ड	आदि शेष नामे (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामे (+) जमा (-)
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------------------

(लाख रुपयों में)

482. लोकस्वास्थ्य,

सफाई और

जल प्रदाय पर

पूंजीगत परिव्यय

स्टॉक

10,10.43

57,93.25

59,97.00

8,06.68

विविध निर्माण

कार्य पेशगियां

4,55.27

3,90.95

4,71.79

3,74.43

योग

14,65.70

61,84.20

64,68.79

11,81.11

अनुदान संख्या 27-(क्रमशः)

5. उपरोक्त टिप्पणी 3 में वर्णित शीर्षों में बचत, निम्नलिखित शीर्षों में हुए आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित की गई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत—
	(लाख रुपयों में)		
482. लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल प्रदाय पर पूंजीगत परिव्यय			

(ख) I (xvi) अन्य शहरी जल प्रदाय योजनाएं

1. बृहद् निर्माण कार्य

मू.	1,19.09	10,39.04	10,45.17	+ 6.13
अ.	7,47.54			
पु.	1,72.41			

1,72.41 लाख रुपये की अतिरिक्त निधि पुनर्विनियोजन द्वारा मार्च 1987 में कार्यों पर अधिक खर्च होने के कारण उपलब्ध कराई गई। 6.13 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

(ग) ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम—

(ii) पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं—

I—सामान्य ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं

6. औजार और संयंत्र

मू.	3,40.00	3,80.00	3,77.08	- 2.92
पु.	40.00			

40 लाख रुपये की अतिरिक्त निधि मार्च 1987 में पुनर्विनियोजन द्वारा मूल अनुमान से अधिक औजार और संयंत्र खरीदने हेतु, उपलब्ध करवाई गयी।

अनुदान संख्या 27-(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत-
	(लाख रुपयों में)		
(ग) II-अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से सहायता प्राप्त ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं			
5. जल प्रदाय योजना, जिला, बोधपुर वृहद् निर्माण कार्य			
मू.	27.03		
पु.	27.92	54.95	55.65 + 0.70

27.92 लाख रुपये की अतिरिक्त निधि मार्च 1987 में पुनर्विनियोजन द्वारा कार्य पर मूल अनुमान से हुए अधिक खर्चों के कारण उपलब्ध कराई गई।

अनुदान संख्या 28-सूखा आंशकित क्षेत्र कार्यक्रम (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : 305. कृषि

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत-
	रु.	रु.	रु.
राजस्व			
मूल	4,50,00,000		
अनुपूरक	..	4,50,00,000	4,49,35,037 -64,963
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

अनुदान संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष: राजस्व-284. नगर विकास

पूंजी-684. नगर विकास के लिये कर्जें

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत-
	रु.	रु.	रु.
राजस्व			
मूल	7,02,37,000		
अनुपूरक	55,98,000	7,58,35,000	7,52,49,227 -5,85,773
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			11,18,000

अनुदान संख्या 29- (समाप्त)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य- बचत-
	रु.	रु.	रु.
पूँजी			
मूल	2,13,00,000		
अनुपूरक	60,00,000	2,73,00,000	2,15,71,126 - 57,28,874
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			50,00,000
टिप्पणियाँ तथा टीकाएं			
राजस्व			

1. 11.18 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत जो मार्च 1987 में अभ्यर्पित की गई, के विरुद्ध अन्तिम बचत केवल 5.86 लाख रुपये रही।

पूँजी

1. अनुदान में 57.29 लाख रुपये की अन्तिम बचत के सन्दर्भ में मार्च 1987 में 60 लाख रुपये की ली गई अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुई।

2. प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्ष में हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य- बचत-
			(लाख रुपयों में)

684. नगर विकास के लिये कर्जें

क (ii) भूमि के अधिग्रहण एवं विकास हेतु जिला एवं स्थानीय निधि समितियों को ऋण

मू.	1,38.00	88.00	88.00	..
पु.	-50.00			

50 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मूल रूप से निर्धारित ऋण से कम ऋण की स्वीकृति को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष: राजस्व-229. भू-राजस्व, 265. अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 277. शिक्षा, 279. वैज्ञानिक सेवाएं तथा अनुसंधान, 280. चिकित्सा, 281. परिवार कल्याण, 282. लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल प्रदाय, 283. आवास, 284. नगर विकास, 285. सूचना और प्रचार, 287. श्रम और रोजगार, 288. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, 298. सहकारिता, 305. कृषि, 306. लघु सिंचाई, 307. भू-संरक्षण और जल संरक्षण, 308. क्षेत्रीय विकास, 310. पशुपालन, 311. डेरी विकास, 312. मत्स्य उद्योग, 313. वन, 314. सामुदायिक विकास, 320. उद्योग, 321. ग्राम और लघु उद्योग, 328. खान और खनिज, 333. सिंचाई, नौ-परिवहन, जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं, 334. विद्युत परियोजनाएँ और 339. पर्यटन

अनुदान संख्या 30—(क्रमशः)

पूँजी:- 459. लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय, 477. शिक्षा, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, 480. चिकित्सा पर पूँजीगत परिव्यय, 482. लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल प्रदाय पर पूँजीगत परिव्यय, 483. आवास पर पूँजीगत परिव्यय, 488. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय, 495. अन्य सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, 498. सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय, 505. कृषि पर पूँजीगत परिव्यय, 512. मत्स्य उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय, 520. औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर पूँजीगत परिव्यय, 528. खनन और धातु कर्मक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय, 533. सिंचाई, नौ-परिवहन, जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, 537. सड़कों और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय, 544. अन्य परिवहन और संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, 683. आवास के लिये कर्ज, 698. सहकारिता के लिये कर्ज और 766. सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत-
	रु.	रु.	रु.
राजस्व मूल	35,61,02,000	38,53,48,000	39,00,45,594
अनुपूरक	2,92,46,000		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			93,15,000
पूँजी मूल	8,69,12,000	9,30,87,000	8,20,35,905
अनुपूरक	61,75,000		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			1,28,42,000

टिप्पणियां तथा टीकाएं

राजस्व

- व्यय अनुदान से 46,97,594 रुपये अधिक हुआ, जिसका नियमन अपेक्षित है।
- 46.98 लाख रुपये के प्रतिष्ठ आधिक्य के संदर्भ में, 93.15 लाख रुपये का अभ्यर्पण अवास्तविक था।

3. अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्षों में हुआ :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत-
		(लाख रुपयों में)	
277. शिक्षा			
क(ड) (Xii) जिला विकास अभिकरणों एवं लघु विकास प्राधिकरणों को सहायता			
1. सहायता अनुदान/अंशदान/सहाय्य			
मू.	29.38	82.95	91.92
अ.	29.89		
पु.	23.68		
			+ 8.97

जिला विकास प्राधिकरणों एवं लघु विकास प्राधिकरणों को जारी सहायता में वृद्धि के संबंध में मार्च 1987 में 23.68 लाख रुपये की अतिरिक्त निधि को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध किया गया।

अनुदान संख्या 30-(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत-
		(लाख रुपयों में)	
282. लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल प्रदाय क (श) (iii) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण)			
मू.	90.66	83.52	2,26.26 + 1,42.74
पु.	-7.14		

अंतिम आधिक्य के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

288. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
ग(च) II(Xi) जन जाति लघु खण्डों
के विकास हेतु अभिकरणों
को सहायता

मू.	2,08.50	2,48.91	2,48.97	+ 0.06
पु.	40.41			

जन जाति लघु खण्डों के विकास के लिए सहायतार्थ अनुदान/ सहाय्य के भुगतान वृद्धि के संबंध में 40.41 लाख रुपये की अतिरिक्त निधि को उपलब्ध कराया गया।

ग (च) I(ii) अनुसूचित जनजातियों
का कल्याण

मू.	63.97			
अ.	4.00	1,05.10	1,08.23	+ 3.13
पु.	37.13			

40.26 लाख रुपये के कुल आधिक्य के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

4. उपर्युक्त टिप्पणी (3) में हुए आधिक्य को आंशिक रूप से निम्न शीर्षों में हुई बचत द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत-
		(लाख रुपयों में)	

229. भू-राजस्व
(ड.) (i) भू-प्रबंध विभाग के
अभिकरण से

मू.	40.00	..	..	..
पु.	-40.00			

सम्पूर्ण प्रावधान पश्च-बजट निर्णय के कारण अन्य शीर्ष में खर्चा करने से अभ्यर्पित कर किया गया।

277. शिक्षा

क(ड) (xi) प्राथमिक शिक्षा हेतु
जिला परिषदों को सहायता

1. सहायतार्थ अनुदान/ अंशदान/ सहाय्य

मू.	41.28	20.00	19.98	-0.02
पु.	-21.28			

21.28 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्राथमिक शिक्षा हेतु जिला परिषदों को कम मात्रा में सहायता जारी करने को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 30-(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य- वचत-
			(लाख रुपये में)

280. चिकित्सा

क(ग)(iv) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

मू.	1,17.69	81.51	79.10	-2.41
अ.	1.15			
पु.	-37.33			

37.33 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सितम्बर 1986 में लागू संशोधित वेतन-मानों में वेतन के स्थिरीकरण न होने पर संशोधित वेतनमानों के बकाया का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गई।

281. परिवार कल्याण

(ङ) (ii) क्षतिपूर्ति

सामान्य

मू.	29.00	30.00	15.29	-14.71
पु.	1.00			

14.71 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1987)।

282. लोक स्वास्थ्य, सफाई और
जल प्रदायक(श) (iii) राष्ट्रीय मलेरिया
उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण)

मू.	90.66	83.52	58.44	-25.08
पु.	-7.14			

7.14 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मूलतः अनुमानित विशेष कार्यक्रमों को मंजूर न होने को आरोपित की गई। 25.08 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

अनुदान सख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक व्यय

आधिक्य +
बचत -

(लाख रुपयों में)

288-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

ग (च) II-आयुक्त, जनजाति क्षेत्र
उप योजना के माध्यम से

(i) प्रशासन

मू.	54.81	6.24	6.23	-0.01
पु.	-48.57			

48.57 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पश्च-वजट निर्णय के कारण अन्य शीर्ष में खर्चा करने को आरोपित की गई।

ग(च) II-(xxiii) आंतरिक प्रावधान
(भाड़ा)

मू.	77.66	47.69	46.16	-1.53
पु.	-29.97			

31.50 लाख रुपये की कुल बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

पूँजी

दत्तमत

1. 1,10.51 लाख रुपये की अंतिम बचत के संदर्भ में और इस तथ्य के साथ कि वास्तविक व्यय मूल अनुदान 8,69.12 लाख रुपये से भी कम था, 1,10.51 लाख रुपये की बचत को देखते हुए, अक्टूबर 1986 तथा मार्च 1987 में 61.75 लाख रुपये की ली गई अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुई।

अनावश्यक

किया

2. 1,10.51 लाख रुपये की अंतिम बचत के तहत मार्च 1987 में 1,28.42 लाख रुपये का किया गया अभ्यर्पण वास्तविक नहीं रहा।

3. बच मुख्यतः निम्न शीर्षों में हुई :-

शीर्ष

र

कुल अनुदान

वास्तविक व्यय

आधिक्य +
बचत -

(लाख रुपयों में)

483. आवास पर पूँजीगत परिव्यय

ख(ख) III-(i) शटक आवासीय
भवन

मू.	69.24	44.10	40.64	-3.46
पु.	-25.14			

25.14 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत-
		(लाख रुपये में)	

ख (ख) III (i) भाटक आवासीय भवन
जोड़िये-मुख्य शीर्ष "259-लोक
निर्माण कार्य" से स्थानान्तरित प्रतिशत व्यय

I-स्थापना

मू.	5.54	..	..	..
पु.	-5.54			

5.54 लाख रुपये के समस्त प्रावधान का पुनर्वित्तियोजन निर्माण कार्य के निष्पादन नहीं होने को आरोपित किया गया।

498. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय

(ब) I-सहकारी समितियों से हिस्सों
का क्रय

मू.	80.00	19.17	19.17	..
पु.	-60.83			

60.83 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत सहकारी समितियों से हिस्सों की खरीद की स्वीकृति के प्राप्त न होने को आरोपित की गई।

(ब) VII-सहकारिताओं की पार्श्व
मुद्रा हेतु विनियोजन

मू.	20.00	..	..	..
पु.	-20.00			

समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण स्वीकृति के प्राप्त न होने के को आरोपित किया गया।

512. मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत
परिव्यय

(ख) II-(i) टमाटिया फिश फार्म
एवं सागरोड फिश फार्म का
निर्माण

मू.	7.00	..	..	..
पु.	-7.00			

समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण निर्माण कार्यों के कम निष्पादन को आरोपित किया गया।

अनुदान संख्या 30 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिव्यय + बचत -
(लाख रुपयों में)			
683. आवास के लिये कर्ज			
(ज) (i) जन-जाति क्षेत्रों में अल्प आय वर्ग आवास योजना			
मू.	10.40	0.05	0.05 ..
पु.	-10.35		

कुल प्रावधान 10.40 लाख रुपये में से 10.35 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्यों के धीमी प्रगति से होने को आरोपित की गई ।

अनुदान संख्या 31-पुनर्वास एवं सहायता

मुख्य शीर्ष : राजस्व-288. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
पूँजी-688. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिव्यय + बचत - रु.
राजस्व			
दत्तमत]			
मूल	58,79,000	58,79,000	27,99,687 -30,79,313
अनुपूरक वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)	..		30,74,000
प्रभारित]			
मूल	1,000	1,000	.. -1,000
अनुपूरक वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)	..		1,000
पूँजी			
दत्तमत			
मूल	1,00,000	1,00,000	-235 -1,00,235
अनुपूरक वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)	..		1,00,000

अनुदान संख्या 31-(समाप्त)

टिप्पणियां तथा टीकाएं
राजस्व

दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न में रही :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
(लाख रुपयों में)			
ख (घ) भारत पाक युद्ध/संघर्ष 1971 द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की सहायता और उनका पुनर्वास			
मू.	33.60	2.34	2.33
पु.	-31.26		-0.01

31.26 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पुनर्वास एवं सहायता कार्यों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 32-तात्कालिक आपूर्ति

मुख्य शीर्ष : राजस्व-288. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
पू.जी- 509. छाछ पर पू.जीगत परिव्यय

राजस्व	दत्तमत	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
मूल		रु.	रु.	रु.
मूल	2,35,50,000	2,51,13,000	2,29,60,105	-21,52,895
अनुपूरक	15,63,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987) प्रभारित				22,42,000
मूल	1,000	57,000	57,159	+159
अनुपूरक	56,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि पू.जी				..
दत्तमत				
मूल	25,09,000	33,77,000	32,03,114	-1,73,886
अनुपूरक	8,68,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987) प्रभारित				1,91,000
मूल	1,000	1,000	..	-1,000
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)				1,000

अनुदान संख्या 32-(समाप्त)

टिप्पणियाँ तथा टीकाएं

राजस्व

1. दत्तमत अनुदान में 21.53 लाख रुपये की अन्तिम बचत के सन्दर्भ में, मार्च 1987 में लिया गया 15.63 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ और मार्च 1987 में 22.42 लाख रुपये के प्रावधान का अभ्यर्पण मांग के निर्धारण करने का वास्तविक आधार नहीं दर्शाता है।

2. व्यय प्रभारित विनियोग से 159 रुपये अधिक हुआ, जिसका नियमन अपेक्षित है।

3. अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्ष में हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत—
क (क) निदेशन तथा प्रशासन			
(ii) जिला कर्मचारी वर्ग			
मू.	2,01.05		
अ.	12.43	1,97.12	1,97.82 + 0.70
पु.	-16.36		

16.36 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सितम्बर 1986 में परिवर्तित वेतनमानों में लागू कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण नहीं करने को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

मुख्य शीर्ष: राजस्व-288. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

पूँजी- 688. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिये कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत— रु.
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	43,23,85,000	47,45,77,000	44,33,20,421 -3,12,56,579
अनुपूरक	4,21,92,000		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			3,23,34,000
प्रभारित			
मूल	2,000	2,000	.. -2,000
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			1,000
पूँजी			
दत्तमत			
मूल	..	..	1,55,000 +1,55,000
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			

टिप्पणियां तथा टीकाएं
राजस्व

1. दत्तमत अनुदान में कुल 3,12.57 लाख रुपये की अन्तिम बचत के संदर्भ में, मार्च 1987 में 4,21.92 लाख रुपये का लिया गया अनुपूरक अनुदान वास्तविक आवश्यकता से अधिक रहा।

2. मार्च 1987 में 3,23.34 लाख रुपये के अर्पण के विपरीत, वर्ष के अन्त में 3,12.57 लाख रुपये की बचत रही।

3. दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत—
घ (घ) परिवार और बाल कल्याण (vi) I समाज कल्याण विभाग के माध्यम द्वारा			
मू.	3,33.90		
अ.	32.00	2,59.46	2,58.87
पु.	-1,06.44		-0.59

1,06.44 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पर्याप्त संख्या में लाभान्वितों के उपलब्ध नहीं होने को आरोपित की गई।

ग (ख) I (v) समाज कल्याण विभाग

मू.	1,87.51	83.67	85.18	+1.51
पु.	-1,03.84			

1,03.84 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत छात्र वृत्तियों के भुगतान हेतु भारत सरकार से स्वीकृति कम मात्रा में प्राप्त होने को आरोपित की गई।

ग (ग) II (v) समाज कल्याण विभाग

मू.	1,50.20	68.83	68.81	-0.02
पु.	-81.37			

81.37 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम सहायता प्राप्त होने को आरोपित की गई।

ग (ग) II(vii) छात्रावासों का
संधारण

मू.	1,07.55			
अ.	34.58	97.75	99.19	+1.44
पु.	-44.38			

44.38 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत छात्रावासों के संधारण पर व्यय के लिए उत्तरदायित्व को पंचायत समितियों से समाज कल्याण विभाग को स्थानान्तरण को आरोपित की गई।

पूँजी

1. पूँजीगत अनुदान में कोई प्रावधान नहीं होने पर, राशि के प्रावधान के अभाव में 1,55,000 रुपये के समस्त व्यय का नियमन अपेक्षित है।

2. आधिक्य शीर्ष (i) राजस्थान के राजनैतिक पीड़ितों को कर्ज और अदायगियों में हुआ। राशि का कोई प्रावधान नहीं होना और अधिक व्यय के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

अनुदान संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत

मुख्य शीर्ष:-राजस्व-289. प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत

पूँजी-695. अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के लिए कर्जें

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक्य + बचत -
		रु.	रु.	रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	33,49,99,000	94,28,63,000	49,20,51,498	-45,08,11,502
अनुपूरक	60,78,64,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)				6,72,21,000
प्रभारित				
मूल	1,000	1,000	13,826	+12,826
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)				1,000
पूँजी				
दत्तमत				
मूल	35,00,000	1,19,25,000	69,65,505	-49,59,495
अनुपूरक	84,25,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)				27,00,000
टिप्पणियां तथा टीकाएं राजस्व				

1. दत्तमत अनुदान में 45,08.12 लाख रुपये की अंतिम बचत के सन्दर्भ में, मार्च 1987 में विविध अकाल कार्यों के लिये 60,78.64 लाख रुपये का लिया गया अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

2. 45,08.12 लाख रुपये की अंतिम बचत में से 38,35.91 लाख रुपये अन-अभ्यर्पित रहे।

3. व्यय प्रभारित विनियोग से 12,826 रुपये अधिक हुआ, जिसका नियमन अपेक्षित है।

अनुदान संख्या 34- (क्रमशः)

4. दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
			(लाख रुपयों में)

289. प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में

राहत
ख(त) क्षतिग्रस्त सिंचाई और बाढ़
नियंत्रण

मू.	1,00.00			
अ.	2,00.00	1,41.00	1,60.12	+19.12
पु.	-1,59.00			

क(ख) (i) जल परिवहन

मू.	2,00.00			
पु.	-1,17.50	82.50	78.11	-4.39

ख(प) (ii) अन्य सहायता

मू.	1,00.00			
पु.	-1,00.00	..	0.02	+0.02

ख (ब) निर्माण कार्यों तथा क्षतिग्रस्त
सड़कों और पुलों की मरम्मत
तथा पुनःस्थापन

मू.	2,00.00			
पु.	-83.00	1,17.00	1,18.23	+1.23

उपरोक्त चार शीर्षों में 4,59.50 लाख रुपये की कुल प्रत्याशित बचत राहत कार्यों पर अनुमान से कम व्यय को आरोपित की गई ।

क(च) II-निवेशन तथा प्रशासन

मू.	1,55.01			
पु.	-63.79	91.22	97.25	+6.03

63.79 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत चिकित्सा तथा यात्रा व्ययों के कम दावे प्राप्त होने और वाहनों के संधारण पर अनुमान से कम व्यय होने को आरोपित की गई ।

क (ड.) (i) प्राप्ति

मू.	1,00.00			
पु.	-47.00	53.00	60.10	+7.10

47 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत राहत कार्यों पर अनुमान से कम व्यय होने को आरोपित की गई ।

अनुदान संख्या 34 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
	(लाख रुपयों में)		

क(च) (X) सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में
सहायता कार्यों पर भारत
सरकार से निःशुल्क गेहूं की
आपूर्ति

अ.	45,00.00	45,00.00	..	-45,00.00
4,500 लाख रुपये की समस्त बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988) ।				

क(ङ) (iii) पशु पोषण केन्द्र

मू.	4,00.00	5,75.85	5,05.88	-69.97
अ.	1,80.00			
पु.	-4.15			

69.97 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988) ।

क(ख) (ii) कुओं से जल निकालने
पर व्यय - पिलाई

मू.	50.00	16.85	10.69	-6.16
पु.	-33.15			

क(घ) विशेष पोषाहार

मू.	20.00	..	..	..
पु.	-20.00			

उपर्युक्त दोनों शीर्षों में 53.15 लाख रुपये की कुल प्रत्याशित बचत राहत कार्यों पर अनुमान से कम व्यय होने को आरोपित की गई ।

5. उपरोक्त टिप्पणी 4 में वर्णित शीर्षों में बचत निम्न शीर्ष में आंशिक रूप से हुए आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
	(लाख रुपयों में)		

क (ज) (ix) भारत सरकार से
प्राप्त निःशुल्क गेहूं के परिवहन,
अण्डारण आदि पर व्यय

अ.	6,00.00	6,00.00	13,28.29	+7,28.29
----	---------	---------	----------	----------

7,28.29 लाख रुपये के आधिक्य के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988) ।

अनुदान संख्या 34 - (समाप्त)

6. अकाल सहायता निधि:- 1986-87 में इस अनुदान के प्रावधान में से 1,675 लाख रुपये इस निधि को अन्तरित किये गये थे। कुछ प्रसंविदान्तर्गत रियासतों में अकाल राहत कार्यों के लिए पृथक से रखी गई निधियों में रही शेष राशि इस निधि की 1 अप्रैल 1950 को आदि शेष राशि बनी जिसमें बाद के वर्षों में राज्य के राजस्व में से किये गये अंशदानों को तथा निधि की शेषों में से किये गये निवेशों पर प्राप्त हुए व्याज को भी मिला लिया गया है।

अकाल सहायता कार्यों पर किया गया व्यय प्रारम्भ में इस अनुदान के अन्तर्गत प्रावधानों से ही किया जाता है और वार्षिक लेखों को बन्द करने से पूर्व ऐसी राशियां जो कि सरकार द्वारा अनुमोदित हों इस निधि में से लेकर इस अनुदान के प्रावधानों में से किये गए व्यय में से घटा दी जाती हैं। 1963-64 तक अकाल सहायता व्यय पूर्णतया इस निधि के शेषों में से किया जाता था लेकिन 1964-65 से 1973-74 के दौरान इस निधि में जमा शेष अपर्याप्त होने के कारण इस निधि में से केवल एक आंशिक व्यय ही किया जा सका। 1986-87 के दौरान किया गया 32,44.49 लाख रुपये का व्यय इस निधि में से ही किया गया। 31 मार्च 1987 को इस निधि में 8,29.01 लाख रुपये जमा शेष थे।

इस निधि के लेन देनों का लेखा वित्त लेख 1986-87 के विवरण संख्या-16 में दिया गया है।

अनुदान संख्या 35-विविध सामुदायिक तथा आर्थिक सेवाएं

मुख्य शीर्ष: राजस्व-247. अन्य राज्य वित्तीय सेवाएं,

265. अन्य प्रशासनिक सेवाएं,

268. विविध सामान्य सेवाएं और

304. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

पूँजी- 500. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश और

504. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+
		रु.	रु.	बचत- रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	50,50,81,000	50,50,81,000	11,92,57,250	-38,58,23,750
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित				
राशि (मार्च 1987)				38,57,29,000
प्रभारित				
मूल	3,000	3,32,000	3,16,189	-15,811
अनुपूरक	3,29,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित				
राशि (मार्च 1987)				4,000
पूँजी				
दत्तमत				
मूल	15,00,000	39,50,000	35,20,534	-4,29,466
अनुपूरक	24,50,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित				
राशि (मार्च 1987)				4,00,000

अनुदान संख्या 35-(समाप्त)

टिप्पणियां तथा टीकाएं
राजस्व

1. दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिव्यय + बचत—
		(लाख रुपयों में)	
247. अन्य राज्य वित्तीय सेवाएं			
(क) लघु बचतों को प्रोत्साहन			
(i) लघु बचत संगठन			

मू.	3,71.41	2,15.69	2,15.36	-0.33
पु.	-1,55.72			

1,55.72 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः लघु बचतों के संग्रहण में कमी को आरोपित की गई ।

268. विविध सामान्य सेवाएं

(क) राज्य लाटरियां

(iii) जीतने वालों को इनाम

मू.	30,00.00	4,67.19	4,60.39	-6.80
पु.	-25,32.81			

(क) (iv) अभिकर्ताओं को देय कमीशन

मू.	12,00.00	2,26.86	2,29.74	+2.88
पु.	-9,73.14			

(क) (i) विज्ञापन, विक्रय और
प्रचार व्यय

मू.	1,60.00	50.10	49.49	-0.61
पु.	-1,09.90			

उपरोक्त तीन शीर्षों में 36,23.26 लाख रुपये की बचत, तीन योजनाओं पर मूलतः विचार करने के बदले केवल एक लाटरी योजना को चलाने को आरोपित की गई ।

(क) (ii) टिकटों की छपाई

मू.	80.00	44.13	50.95	+6.82
पु.	-35.87			

35.87 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत, तीन योजनाओं पर मूलतः विचार करने के बदले केवल एक लाटरी योजना को चलाने को आरोपित की गई । 6.82 लाख रुपये के अतिरिक्त आधिव्यय के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988) ।

अनुदान संख्या 36-सहकारिता

मुख्य शीर्ष : राजस्व-298. सहकारिता

पूँजी- 498. सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय और
698. सहकारिता के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य + बचत- रु.
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	3,89,61,000		
अनुपूरक	1,09,61,000	9,99,22,000	8,92,14,025 -1,07,07,975
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			1,08,65,000
प्रभारित			
मूल	1,000		
अनुपूरक	..	1,000	.. -1,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			1,000
पूँजी			
दत्तमत			
मूल	22,17,60,000		
अनुपूरक	2,08,01,000	24,25,61,000	14,17,83,074 -10,07,77,926
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			10,08,11,000
टिप्पणियाँ तथा टीकाएँ			
राजस्व			

1. दत्तमत अनुदान में 1,07.08 लाख रुपये की अन्तिम बचत के संदर्भ में, मार्च 1987 में 1,09.61 लाख रुपये का लिया गया अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

2. मार्च 1987 में 1,08.65 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत रही, जो अभ्यर्पित की गई, जबकि अन्ततः बचत केवल 1,07.08 लाख रुपये की रही।

अनुदान संख्या 36—(क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों में हुई :-

शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक व्यय प्राधिकृत-
बचत-
(लाख रुपयों में)

298. सहकारिता]

(इ) उधार सहकारी समितियां

(iv) राजस्थान राज्य सहकारी
बैंक को सहाय्य

I. कृषि साख समृद्ध निधि की स्थापना]

मू.	75.00			
पु.	-48.75	26.25	26.25	...

48.75 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम मात्रा में सहायता प्राप्त होने से कम सहायता का वितरण होने को आरोपित की गई।

(क) निदेशन और प्रशासन

(ii) अधीक्षण

मू.	2,06.48			
पु.	-31.71	1,74.77	1,75.89	+1.12

31.71 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) नये वेतनमानों में कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का कार्य पूरा न होने और (ii) कुछ पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

(ट) औद्योगिक सहकारी समितियां

(i) हाथकर्मा वस्त्रों की बिक्री पर
छूट

मू.	50.00			
पु.	-19.88	30.12	29.73	-0.39

19.88 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत (i) हाथकर्मा वस्त्रों की कम बिक्री और (ii) भारत सरकार से कम सहायता प्राप्त होने को आरोपित की गई।

पू.जी]

1. मार्च 1987 में 2,08.01 लाख रुपये का लिया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि दत्तमत अनुदान में कुल व्यय मूल प्रावधान से भी कम रहा।

अनुदान संख्या 36- (क्रमशः)

2. अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत-
		(लाख रुपयों में)	
498. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
(छ) सहकारी कताई मिलें			
(i) सहकारी कताई मिलों में विनियोजन			
मू.	1,38.00	70.00	70.00 ..
पु.	-68.00		

68 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से विनियोजन के लिए धन उपलब्ध होने की स्वीकृति प्राप्त न होने को आरोपित की गई।

(क) उधार सहकारी समितियां
I-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के
माध्यम द्वारा सहकारी
समितियों के हिस्सों का क्रय

मू.	2,21.00	1,88.22	1,88.22 ..
पु.	-32.78		

32.78 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत 'राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक' द्वारा कम सहायता की स्वीकृति को आरोपित की गई।

698. सहकारिता के लिये कर्जें
(ड) भण्डागारण तथा विपणन
सहकारी समितियां
II-निवेशक, कृषि विभाग के माध्यम से
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय
संघ लि. को कर्जें

मू.	10,00.00	..	
पु.	-10,00.00		

पिछले ऋणों के पुनर्मुग्तान के बकाया रहने के कारण नये ऋणों के न बांटने से समस्त प्रावधान का अश्र्पण किया बताया गया।

(क) उधार सहकारी समितियां
(vi) पुनर्स्थापना योजना के तहत
राजस्थान राज्य सहकारी बैंक
को कर्जें

मू.	20.00	..	
पु.	-20.00		

20 लाख रुपये के समस्त प्रावधान का पुनर्विनियोजन योजना के स्वीकृत न होने को आरोपित किया गया।

अनुदान संख्या 36 - (समाप्त)

3. उपरोक्त टिप्पणी 2 में वर्णित बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में हुये आधिव्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित की गईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिव्यय- बचत-
498. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
(ड) संसाधन सहकारी समितियां			
(ii) कॉटन सीड एक्सट्रेशन प्लान्ट कम ग्रायल मिल हेतु विनियोजन			
मू.	3,23.00	5,52.39	5,52.39
पु.	2,29.39		

पुनर्विनियोजन द्वारा 2,29.39 लाख रुपये की कुल निधि का प्रावधान राष्ट्रीय सहकारी विकास निधम से सहकारी क्षेत्रों में नई इकाइयों की स्थापना हेतु आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने पर किया गया।

अनुदान संख्या 37-कृषि
मुख्य शीर्षः राजस्व-305. कृषि
पूँजी-505. कृषि पर पूंजीगत परिव्यय और
705. कृषि के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिव्यय- बचत-
	रु.	रु.	रु.
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	44,37,27,000	45,14,43,000	41,87,75,822 - 3,26,67,678
अनुपूरक	77,16,000		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			3,18,59,000
प्रभारित			
मूल	1,000	53,000	44,263 - 8,737
अनुपूरक	52,000		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			7,000
पूँजी			
मूल	16,33,00,000	16,33,01,000	6,01,01,512 - 10,31,99,488
अनुपूरक	1,000		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			10,17,51,000

अनुदान संख्या 37-(क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं

राजस्व

1. बतमत अनुदान में 3,26.68 लाख रुपये की अंतिम बचत के संदर्भ में तथा इस तथ्य के साथ कि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम होने पर 77.16 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान (77.11 लाख रुपये मार्च 1987 में प्राप्त किये, इसके अतिरिक्त अक्टूबर 1986 में 0.05 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया) अनावश्यक सिद्ध हुआ।

2. बतमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत—
		(लाख रुपयों में)	

(घ) खाद और उर्वरक

(v) गोबर गैस प्लांट

मू.	3,35.15	1,88.48	2,25.14	+ 36.66
पु.	-1,46.67			

1,46.67 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत गोबर गैस प्लांट के लिए भारत सरकार से कम सहायता प्राप्ति को आरोपित की गई। अंतिम आधिक्य के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

(च) वाणिज्यिक फसलें

(iv) जिला गहन कपास कार्यक्रम

मू.	26.00	4.38	5.22	+ 0.84
पु.	-21.62			

21.62 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा गहन कपास कार्यक्रम के लिये स्वीकृति जारी नहीं होने को आरोपित की गई। अंतिम आधिक्य के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

(श) विस्तार और कृषक प्रशिक्षण

(v) राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना

III. जिला स्तर

मू.	1,09.57	54.96	54.97	+ 0.01
पु.	-54.61			

54.61 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः स्वीकृतियों का जारी नहीं होना और कुछ पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 37-(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत-
		(लाख रुपयों में)	
(श) विस्तार और कृषक प्रशिक्षण			
(v) राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना			
IV. क्षेत्रीय स्तर			
मू.	1,49.40	1,05.89	1,06.66 +0.77
पु.	-43.51		

43.51 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कुछ पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

(ड) कृषि विपणन और गुण नियंत्रण			
(iii) रेगुलेटेड विपणन का विकास			
मू.	1,50.00	1,02.17	1,02.16 -0.01
पु.	-47.83		

47.83 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से रेगुलेटेड विपणन का विकास की स्वीकृति प्राप्त न होने को आरोपित की गई।

(थ) अन्य व्यय			
(vi) अग्रिम आयोजना सहायता के के अंतर्गत कृषकों द्वारा चारे की सघन खेती का कार्यक्रम			
अ.	25.00	15.00	.. -15.00
पु.	-10.00		

10 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से कृषकों द्वारा चारे की सघन खेती का कार्यक्रम की स्वीकृति प्राप्त न होने को आरोपित की गयी। बचा हुआ 15 लाख रुपये का प्रावधान, जो कि अनुपयोजित रहा, के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

ए.जी

1. अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत-
		(लाख रुपयों में)	

705. कृषि के लिए कर्ज

(क) बीज

(iii) राजस्थान बीज निगम को कर्ज

मू.	11,60.00
पु.	-11,60.00

अनुदान संख्या 37-(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ वचत-
-------	------------	-----------------------------------	-----------------

505. कृषि पर पूंजीगत परिव्यय
(च) अन्य व्यय

II. कृषि विभाग के अभिकरण से

1. भवन

मू.	1,74.00	1,17.50	1,14.01	-3.49
पु.	-56.50			

उपरोक्त दोनों शीर्षों में 12,16.50 लाख रुपये की कुल प्रत्याशित वचत भवनों के निर्माण तथा राजस्थान बीज निगम को कर्जों की स्वीकृति के जारी न होने को आरोपित की गई। अंतिम वचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

2. उपरोक्त टिप्पणी 1 में वर्णित शीर्षों में 12,16.50 लाख रुपये की कुल वचत आंशिक रूप से निम्न शीर्षों में हुए आधिक्य द्वारा प्रति संतुलित की गई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ वचत-
-------	------------	-----------------------------------	-----------------

705. कृषि के लिए कर्ज

(क) बीज

(ii) राज्य कृषि उद्योग निगम लि. को कर्ज

मू.	2,60.00	4,62.00	4,62.00	..
पु.	2,02.00			

31 मार्च 1987 को पुनर्विनियोजन द्वारा अतिरिक्त निधि का प्रावधान (i) राजस्थान लघु उद्योग निगम में अधिक विनियोजन करने हेतु और (ii) कर्जों की स्वीकृति के लिए किया गया।

अनुदान संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

मुख्य शीर्ष : राजस्व-306. लघु सिंचाई और

307. भू-संरक्षण एवं जल-संरक्षण

पूँजी-506. लघु सिंचाई, भू-संरक्षण और क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय और

706. लघु सिंचाई, भू-संरक्षण और क्षेत्र विकास के लिये कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ वचत-
	रु.	रु.	रु.
राजस्व			
वत्समत			
मूल	26,72,47,000	37,05,29,000	31,72,86,254 -5,32,42,746
अनुपूरक	10,32,82,000		
वर्ष के दौरान अस्पष्टित राशि (मार्च 1987)			85,92,000

अनुदान संख्या 38-(क्रमशः)

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत- रु.
प्रभारित				
मूल	1,000	1,56,000	1,55,075	-925
अनुपूरक	1,55,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूँजी				
मूल	1,10,33,000	1,10,33,000	54,40,016	-55,92,984
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)				55,93,000

टिप्पणियां तथा टीकाएं

राजस्व

1. दत्तमत अनुदान में 5,32.43 लाख रुपये की अन्तिम बचत के संदर्भ में, अक्टूबर 1986 तथा मार्च 1987 में लिया गया 10,32.82 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। 5,32.43 लाख रुपये की अन्तिम बचत में से, 4,46.51 लाख रुपये अभ्यर्पित रहे।

2. दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में रही :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत-
			(लाख रुपयों में)
307. मू-संरक्षण और जल-संरक्षण			
(ग) I(x) सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में			
सहायता कार्यों पर भारत			
सरकार से निःशुल्क गेहूँ के रूप में			
मजदूरी पर व्यय			
अ.	4,50.00	4,50.00	58.92 -3,91.08

58.92 लाख रुपये के वास्तविक व्यय को देखते हुये, मार्च 1987 में अनुपूरक अनुदान द्वारा 450 लाख रुपये से प्रावधान का बढ़ाया जाना वास्तविक मांग पर आधारित प्रतीत नहीं होता। 3,91.08 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

306. लघु सिंचाई

(ग) (iv) लघु/सीमान्त कृषकों को
कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता

मू.	9,03.48	5,66.14	5,51.81	-14.33
पु.	-3,37.34			

3,37.34 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कमी को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 38-(समाप्त)

3. उपरोक्त टिप्पणी 2 में वर्णित शीर्षों में बचत आंशिक रूप से निम्न शीर्षों में हुए आधिक्य द्वारा प्रति संतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत-
	(लाख रुपये में)		
306. लघु सिंचाई			
(ख) (ii) कार्यकारी			
मू.	7,38.98		
अ.	0.02	9,41.51	9,29.52
पु.	2,02.51		-11.99

पुनर्विनियोजन द्वारा 2,02.51 लाख रुपये की निधि का आवंटन मुख्यतः भू-जल विभाग के कार्यों पर हुए व्यय में वृद्धि को आरोपित किया गया।

4. सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों के मूल्य हास/आरक्षित निधि के निक्षेप लेखे-राजस्थान भू-जल मण्डल-अनुदान के अन्तर्गत व्यय के प्रावधान में "306" लघु सिंचाई के अन्तर्गत 16 लाख रुपये जो कि निक्षेप लेखे में जमा हेतु अन्तरित कर दिये थे, सम्मिलित हैं। निक्षेप लेखे को (संयंत्र तथा मशीनों के नवीनीकरण और प्रतिस्थापन व्यय को पूरा करने के अभिप्राय से है) ऐसे अन्तरित अंशदानों द्वारा पूरित किया जाता है। नवीनीकरण तथा प्रतिस्थापन पर वास्तविक व्यय प्रथमतः इस अनुदान के मुख्य शीर्ष "306" को डेबिट किया जाता है तथा वर्ष के लेखे बन्द होने से पूर्व यह व्यय निक्षेप लेखे को अन्तरित कर दिया जाता है।

31 मार्च 1987 को निधि में 8,11.22 लाख रुपये का जमा शेष था।

पूँजी

1. अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत-
	(लाख रुपये में)		
706. लघु सिंचाई, भू-संरक्षण और क्षेत्र विकास के लिये कर्ज			
(ग) I (iii) विश्व खाद्य कार्यक्रम नं. 2600 के अन्तर्गत विस्थापितों को कर्ज			
मू.	40.00	5.89	5.89
पु.	-34.11		..

34.11 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत कर्जों के लिये कम संख्या में आवेदन प्राप्त होने को आरोपित की गयी।

(ग) II (i) राजस्थान भूमि विकास
निगम

मू.	50.00	25.00	25.00	..
पु.	-25.00			

25 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत राजस्थान भूमि निगम के विकास के लिए कम स्वीकृति प्राप्त होने को आरोपित की गयी।

2. उपरोक्त टिप्पणी 1 में बताई गयी 59.11 लाख रुपये की कुल बचत आंशिक रूप से कुछ अन्य निश्चित शीर्षों में हुए आधिक्य द्वारा प्रति संतुलित की गई।

अनुदान संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा

मुख्य शीर्ष: राजस्व-310. पशुपालन और

312. मत्स्य उद्योग

पूँजी-510. पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय और

512. मत्स्य उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय

कुल अनुदान या विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
रु.		रु.	रु.
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	20,90,06,000	21,60,47,000	20,16,17,115 -1,44,29,885
अनुपूरक	70,41,000		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			89,50,000
प्रभारित			
मूल	3,000	3,000	.. -3,000
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			2,000
पूँजी			
दत्तमत			
मूल	22,11,000	24,11,000	12,89,280 -11,21,720
अनुपूरक	2,00,000		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			9,05,000
टिप्पणियां तथा टीकाएं			
राजस्व			

1. दत्तमत अनुदान में 1,44.30 लाख रुपये की अन्तिम बचत के संदर्भ में और इस तथ्य के साथ कि वास्तविक व्यय, मूल अनुदान 20,90.06 लाख रुपये से भी कम होने के कारण, 70.41 लाख रुपये अक्टूबर 1986 (0.01 लाख रुपये) और मार्च 1987 (70.40 लाख रुपये) में प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

2. 1,44.30 लाख रुपये की अन्ततः बचत में से, 54.80 लाख रुपये अन्-अभ्यर्पित रहे ।

अनुदान संख्या 39-(क्रमशः)

3. अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
	(लाख रुपयों में)		
310. पशुपालन			
(ग) पशु चिकित्सा सम्बन्धी सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य			
(v) चिकित्सालय और औषधालय			
मू.	9,62.84		
अ.	5.71	9,17.62	8,89.43
पु.	-50.93		-28.19

50.93 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कुछ पदों के रिक्त रहने और सितम्बर 1986 में लागू परिवर्तित वेतनमान में कर्मचारियों के वेतन के स्थिरीकरण नहीं होने को आरोपित की गई। 28.19 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

(च) पशु विकास

(vii) शुष्क वीर्य प्रणाली से संकर प्रजनन एवं भैंसों का विकास कार्यक्रम

मू.	27.00			
अ.	17.50	32.72	32.79	+ 0.07
पु.	-11.78			

11.71 लाख रुपये की कुल अंतिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

312. मत्स्य उद्योग

(ग) अंतर्देशीय मत्स्य उद्योग

(v) मत्स्य पालक विकास अभिकरण के माध्यम से

मू.	29.90			
अ.		18.40	18.35	-0.05
पु.	-11.50			

11.50 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अंतर्देशीय मत्स्य उद्योग के लिये अनुदानों का भुगतान न होने को आरोपित की गई।

पूँजी

1. दत्तमत अनुदान में 11.22 लाख रुपये की अंतिम बचत के संदर्भ में और इस तथ्य के साथ कि वास्तविक व्यय, मूल प्रावधान से भी कम होने के कारण अक्टूबर 1986 में 2 लाख रुपये का प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 39-(समाप्त)

2. अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्ष में रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत-
(लाख रुपयों में)			
510. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय (क) पशुपालन प्रशिक्षण और शिक्षा II(i) भवन			
मू.	15.25	7.00	5.61
पु.	-8.25		-1.39

8.25 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत विभाग द्वारा निविदा को अन्तिम रूप न देने को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 40 - राजकीय उपक्रम

मुख्य शीर्ष: राजस्व-320. उद्योग			
पूँजी-520. औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर पूंजीगत परिव्यय,			
523. पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,			
526. उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय और			
538. सड़कों और जल परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य + बचत - रु.
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	1,85,54,000	1,85,54,000	1,49,15,911
अनुपूरक	..		-36,38,089
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987) प्रभारित			36,81,000
मूल	1,000	1,000	..
अनुपूरक	..		-1,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			1,000
पूँजी			
दत्तमत			
मूल	3,42,50,000	3,42,50,000	3,28,61,583
अनुपूरक	..		-13,88,417
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			14,42,000

अनुदान संख्या 40—(समाप्त)

टिप्पणियां तथा टीकाएं

राजस्व

बचत मुख्यतः निम्न में रही :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
		(लाख रुपयों में)	

320. उद्योग

ख(क) (ii) संचालन तथा अनुरक्षण

मू.	1,17.61	83.63	83.71	+0.08
पु.	-33.98			

33.98 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) नमक के कम उत्खनन और (ii) नमक के कम उत्पादन होने के कारण किराये पर हुए कम व्यय को आरोपित की गई।

पूँजी

प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में रही :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
		(लाख रुपयों में)	

523. पेट्रोलियम, रसायन तथा
उर्वरक उद्योगों पर पूँजीगत
परिव्यय

(क) (i) सोडियम सल्फेट प्लांट का
विस्तार

मू.	8.00	1.87	2.15	+0.28
पु.	-6.13			

526. उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत
परिव्यय

(घ) (i) नमक व्यापार योजना में
विनियोजन

मू.	8.50	1.21	1.47	+0.26
पु.	-7.29			

उपरोक्त दोनों शीर्षों में 13.42 लाख रुपये की कुल प्रत्याशित बचत लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधि के अनुषंगान्त रहने को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 41- सामुदायिक विकास

मुख्य शीर्ष : 314. सामुदायिक विकास

	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य + बचत - रु.
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	18,81,25,000	19,49,42,000	18,84,42,010 - 64,99,990
अनुपूरक	68,17,000		

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987) 59,74,000

प्रभारित

मूल	1,000	1,000	..	-1,000
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)				1,000

टिप्पणियां तथा टीकाएं

1. दत्तमत अनुदान में 65 लाख रुपये की समग्र बचत के संवर्धन में, मार्च 1987 में लिया गया 68.17 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान वास्तविक मांग से अधिक था।
2. दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न में हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
			(लाख रुपयों में)

314. सामुदायिक विकास

क-सामान्य

(क) निदेशन और प्रशासन

(iv) उन्नत प्रकार के चूल्हे पर राष्ट्रीय परियोजना

मू.	1,00.00	41.82	41.94	+0.12
पु.	-58.18			

58.18 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत उन्नत प्रकार के चूल्हे स्थापित करने के लक्ष्य में कमी होने पर भारत सरकार से कम सहायता प्राप्त होने को आरोपित की गई।

ख (i) एकीकृत प्रशिक्षण केन्द्र

मू.	22.25	15.83	15.98	+0.15
पु.	-6.42			

6.42 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

अनुदान संख्या 42-उद्योग

मुख्य शीर्ष : राजस्व-320. उद्योग और

321. ग्राम और लघु उद्योग

पूँजी-520. औद्योगिक अनुसंधान और
विकास पर पूँजीगत परिव्यय,

521. ग्राम और लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय,

526. उन्नोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय,

530. औद्योगिक संस्थानों में विनियोजन,

720. औद्योगिक अनुसंधान और विकास के लिए कर्जें,

721. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्जें और

730. औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्जें

		कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य- बचत- रु.
राजस्व				
वत्तमत				
मूल	10,68,47,000	13,70,99,000	13,45,64,044	-25,34,956
अनुपूरक	3,02,52,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)				28,54,000
प्रभारित				
मूल	1,000	52,000	51,840	-160
अनुपूरक	51,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूँजी				
मूल	12,16,20,000	16,13,22,000	15,52,81,269	-60,40,731
अनुपूरक	3,97,02,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)				56,95,000

टिप्पणियां तथा टीकाएं

राजस्व

1. दत्तमत अनुदान में 25.35 लाख रुपये की अन्तिम बचत के सम्बन्ध में, अक्टूबर 1986 में (110 लाख रुपये) तथा मार्च 1987 (1,92.52 लाख रुपये) में कुल 3,02.52 लाख रुपये का लिया गया अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

2. 28.54 लाख रुपये के अभ्यर्पण के विपरीत, अन्तिम बचत केवल 25.35 लाख रुपये की रही।

पूँजी

1. अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में रही:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य- बचत-
			(लाख रुपयोंमें)

520. औद्योगिक अनुसंधान और विकास
पर पूँजीगत परिव्यय

(ख) (i) राजस्थान राज्य औद्योगिक
विकास एवं विनियोग निगम
में विनियोजन

मू.	3,64.00			
पु.	-50.00	3,14.00	3,12.10	-1.90

50 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम में विनियोजन के कम स्वीकृत होने को आरोपित की गई।

526. उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत
परिव्यय

(क) I (v) मेवाड़ कपड़ा मिल, भीलवाड़ा में
विनियोजन

अ.	20.00			
पु.	-20.00	..	..	..

अक्टूबर 1986 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया 20 लाख रुपये का समग्र प्रावधान कपड़ा मिल को कर्जों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अनुपयोगी रहा।

721. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज

(ङ) (vi) बिक्री कर के बदले में
व्याज मुक्त कर्ज

मू.	50.00			
पु.	-50.00	..	..	..

व्याज मुक्त कर्जों से लाभान्वित हकदारों द्वारा बिक्री कर का भुगतान नहीं करने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित रहा।

अनुदान संख्या 43-खनिज

मुख्य शीर्ष : राजस्व-328. खान और खनिज

पूँजी-528. खनन और धातु कर्मक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय और

728. खनन और धातु कर्मक उद्योगों के लिये कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत- रु.
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	28,53,76,000	28,53,76,000	16,54,37,152 -11,99,38,848
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987) प्रभारित			11,96,54,000
मूल	10,000	15,000	13,453 -1,547
अनुपूरक	5,000		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			1,000
पूँजी			
दत्तमत			
मूल	1,60,83,000	3,60,83,000	3,02,47,055 -58,35,945
अनुपूरक	2,00,00,000		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			63,83,000
टिप्पणियां तथा टीकाएं			

राजस्व

1. दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत-
			(लाख रुपयों में)

328. खान और खनिज

ख-खानों का विनियमन तथा विकास

(ग) खनिज अन्वेषण

II-अनुदान और विधायन

मू.	21,88.70	10,78.35	10,78.26	-0.09
पु.	-11,10.35			

11,10.35 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पिसाई कार्य में कमी (8,14.31 लाख रुपये) और (ii) मेटन राँक फॉस्फेट की कम खरीद के परिणाम स्वरूप उत्पादन लक्ष्य में (2,59.76 लाख रुपये) हुई कमी को आरोपित की गई ।

अनुदान संख्या 43--(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत-
(लाख रुपयों में)			

ख-खानों का विनियमन तथा विकास

(ग) खनिज अन्वेषण

(vi) III-वितरण

मू.	1,72.90	75.65	75.63	-0.02
पु.	-97.25			

97.25 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) बिक्री कर का पतन और (ii) प्रचार पर व्यय में कमी को आरोपित की गई।

पूँजी

1. 58.36 लाख रुपये की कुल अंतिम बचत के संदर्भ में, 200 लाख रुपये की अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुई।

2. अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्ष में हुई :--

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत-
(लाख रुपयों में)			

528. खनन और धातु कर्मक

उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

(क) खनिज अन्वेषण और विकास

(i) मशीनरी आदि का क्रय

मू.	1,05.83	42.00	41.04	-0.96
पु.	-63.83			

63.83 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मशीनरी की कम खरीद को आरोपित की गई।

3. उपरोक्त टिप्पणी 2 में वर्णित बचत आंशिक रूप से निम्न शीर्ष में हुये आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित की गई :--

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत-
(लाख रुपयों में)			

(v) कार्यालय भवन के लिए भूमि
खरीदने हेतु

6.43 + 6.43

6.43 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

अनुदान संख्या 44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण

मुख्य शीर्ष: राजस्व-258. लेखन सामग्री एवं मुद्रण

पूँजी-465. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य+ बचत- रु.
राजस्व			
दत्तमत			
मूल 7,38,90,000	7,38,90,000	5,39,36,167	-1,99,53,833
अनुपूरक ..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			1,95,55,000
प्रभारित			
मूल 2,000	1,47,000	..	-1,47,000
अनुपूरक 1,45,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			1,45,000
पूँजी			
दत्तमत			
मूल 14,50,000	14,80,000	14,27,586	-52,414
अनुपूरक 30,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टिप्पणियाँ तथा टीकाएं			
राजस्व			

1. दत्तमत अनुदान में 1,99.54 लाख रुपये की अंतिम बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत-
	(लाख रुपयों में)		
(ख) लेखन सामग्री भण्डार की खरीद और पूर्ति			
(ii) लेखन सामग्री भण्डार का क्रय			
मू. 4,25.00	2,59.83	2,50.81	-9.02
पु. -1,65.17			

1,65.17 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत विभाग द्वारा लेखन सामग्री की कम खरीद को आरोपित की गई। 9.02 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

अनुदान संख्या 44-(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत-
(ग) सरकारी मुद्रणालय			
मू.	2,92.24	2,66.02	+ 4.50
पु.	- 26.22		

26.22 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कुछ पदों के रिवत रहने तथा साज-सामान की कम खरीद को आरोपित की गई। अन्तिम आधिक्य के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

2. यद्यपि मार्च 1987 में 1.45 लाख रुपये का अनुपूरक विनियोग लिया गया था फिर भी 1.47 लाख रुपये का समस्त प्रभारित विनियोग अनुपयोजित रहा। बचत मुख्यतः शीर्ष (ग) सरकारी मुद्रणालय में घटित हुई। बचत डिग्री प्रभारों में व्यय न होने को आरोपित की गई। उस परिस्थिति में, मार्च 1987 में प्रावधान की वृद्धि की आवश्यकता नहीं जान पड़ती थी।

अनुदान संख्या 45- राज्य कर्मचारियों को ऋण (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : 766. सरकारी कर्मचारियों को ऋण

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत-
	रु.	रु.	रु.
पूँजी मूल	18,19,00,000	21,85,00,000	21,08,30,843
अनुपूरक	3,66,00,000		-76,69,157
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			
टिप्पणियाँ तथा टीकाएँ			

1. अनुदान में 76.69 लाख रुपये की अन्तिम बचत के सन्दर्भ में, 366 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

2. अनुदान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों में रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
766. सरकारी कर्मचारियों को ऋण			
(क) गृह निर्माण अग्रिम			
(iii) अन्य सरकारी कर्मचारियों को सरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु कर्ज			
मू.	72.00	69.88	-9.38
पु.	-2.12		-60.50

2.12 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत कर्मचारियों से सरम्मत एवं नवीनीकरण के लिये अग्रिम की राशि मूल अनुमान से कम होने को आरोपित की गई। 60.50 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

अनुदान संख्या 45-(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
(लाख रुपयों में)			

(घ) त्यौहार अग्रिम

मू.	1,00.00	1,00.00	59.27	-40.73
-----	---------	---------	-------	--------

(ङ) अन्य अग्रिम

(i) खाद्यान्न क्रय हेतु अग्रिम

मू.	12,10.00	12,65.00	12,49.44	-15.56
अ.	55.00			

(ख) मोटर वाहन क्रय हेतु अग्रिम

(ii) राष्ट्रीय कृषि विस्तार योजना के तहत मोटर वाहनों का क्रय हेतु कर्ज

मू.	14.00	14.00	..	-14.00
-----	-------	-------	----	--------

उपरोक्त शीर्षों में 70.29 लाख रुपये की कुल बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित शीर्षों में बचत आंशिक रूप से मुख्यतः निम्न शीर्ष में हुए आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
(लाख रुपयों में)			

(क) गृह निर्माण अग्रिम

(ii) अन्य सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम

मू.	80.00	3,82.50	4,43.62	+61.12
अ.	3,00.00			
पु.	2.50			

यद्यपि कर्मचारियों की ओर से गृह निर्माण अग्रिम की अधिक संख्या में मांग किये जाने पर पुनर्विनियोजन द्वारा मार्च 1987 में 2.50 लाख रुपये की अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराई गई। 61.12 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

अनुदान संख्या 46 - सिंचाई

- मुख्य शीर्ष: राजस्व-332. बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें और
 333. सिंचाई, नौ-परिवहन, जल निकास और बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें
- पूँजी-532. बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय और
 533. सिंचाई, नौ-परिवहन, जल निकास और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य- बचत-
		रु.	रु.	रु.
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,34,13,77,000	1,77,83,99,000	1,78,75,23,198	+91,24,198
अनुपूरक	43,70,22,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)				
				1,34,27,000
प्रभारित				
मूल	2,000	4,000	1,01,219	+97,219
अनुपूरक	2,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
पूँजी				..
दत्तमत				
मूल	1,75,05,31,000	2,09,31,41,000	2,16,45,67,441	+7,14,26,441
अनुपूरक	34,26,10,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
				..
प्रभारित				
मूल	51,000	60,000	1,06,002	+46,002
अनुपूरक	9,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
टिप्पणियाँ तथा टीकाएं				..
राजस्व				

1. व्यय दत्तमत अनुदान तथा प्रभारित विनियोग से क्रमशः 91,24,198 रुपये तथा 97,219 रुपये अधिक हुआ, जिसका नियमन अपेक्षित है।

2. अक्टूबर 1986 तथा मार्च 1987 में लिया गया कुल 43,70.22 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ। 91.24 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य को देखते हुए, 1,34.27 लाख रुपये का अभ्यर्पण अवास्तविक था।

अनुदान संख्या 46- (क्रमशः)

3. अनुदान में प्रावधान से आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्षों में हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान]	वास्तविक व्यय	आधिक्य + वचत -
		(लाख रुपयों में)	
332. बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं			
ख(च) राना प्रताप सागर बांध			
(i) निष्पादन			
मू.	77.39	93.61	95.49
पु.	16.22		+1.88

पुनर्विनियोजन द्वारा 16.22 लाख रुपये की अतिरिक्त निधि का आवर्धन मुख्यतः अधिक निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिये किया गया। 1.88 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

333. सिंचाई, नौ-परिवहन, जल निकास और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं				
ख(ग) अन्य सिंचाई कार्य				
1. संधारण				
मू.	3,21.50	5,97.56	6,03.41	+5.85
पु.	2,76.06			

2,76.06 लाख रुपये की निधि का आवर्धन संधारण कार्यों पर बड़े हुये व्यय को आरोपित किया गया। 5.85 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

ख(ग) 3. अग्रिम आयोजना सहायता के अन्तर्गत सूखा सहायता कार्यों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सहायतार्थ अनुदान				
मू.	9,00.97			
अ.	17,97.22	28,16.22	28,20.13	+3.91
पु.	1,18.03			

अग्रिम आयोजना सहायता के मिलने के बाद मार्च 1987 में पुनर्विनियोजन द्वारा 1,18.03 लाख रुपये की अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराई गई। 3.91 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

क(क) (iii) निष्पादन

मू.	5,44.19			
अ.	34.67	6,47.22	6,63.45	+16.23
पु.	68.36			

मार्च 1987 में पुनर्विनियोजन द्वारा 68.36 लाख रुपये की निधि के आवर्धन की आवश्यकता तथा 16.23 लाख रुपये का अंतिम आधिक्य मुख्यतः (i) कर्मचारियों को बोनस का भुगतान, (ii) वाहनों के संधारण पर व्यय में वृद्धि और (iii) बकाया दायित्वों का भुगतान करने को आरोपित किया गया।

अनुदान संख्या 46-(क्रमशः)

4. उपरोक्त नोट (3) में वर्णित शीर्षों में हुए आधिक्य व्यय को आंशिक रूप से निम्न शीर्षों में हुई बचत द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
	(लाख रुपयों में)		
332. बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें			
क (क) (i) निष्पादन			
I-संचालन			
मू.	3,09.10		
अ.	0.50	1,63.68	1,62.40
पु.	-1,45.92		-1.28

1,45.92 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः निर्माण कार्यों के कम होने को आरोपित की गई।

ग(क) (i) सिंचाई शाखा				
मू.	3,78.26			
अ.	50.22	3,78.26	3,70.76	-7.50
पु.	-50.22			

कुल 57.72 लाख रुपये की बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

333. सिंचाई, नौ-परिवहन जल विकास
और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं

क (ग) उच्चत				
1. विकलन				
मू.	10,96.61			
		9,36.05	8,71.24	-64.81
पु.	-1,60.56			

2,25.37 लाख रुपये की कुल बचत स्टॉक लेखों के समायोजन को आरोपित की गई।

5. उच्चत लेन-देन.—'उच्चत' लेन-देनों की प्रकृति विनियोग लेखों के अनुदान संख्या '19-लोक निर्माण कार्य' के नीचे टिप्पणी 6 (राजस्व अनुभाग) में स्पष्ट की गई है।

1986-87 में अनुदान के राजस्व अनुभाग में 'उच्चत' लेन-देनों का वर्गीकरण विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक और अन्तर्शेषों सहित नीचे दिया गया है :—

'उच्चत' के अन्तर्गत प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान	अन्तर्शेष
उप शीर्ष	नामे (+) जमा (-)	नामे	जमा	नामे (+) जमा (-)
				(लाख रुपयों में)
333. सिंचाई, नौ-परिवहन जल विकास और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं				
स्टॉक	+ 4,01.44	6,99.22	7,06.99	+ 3,93.67
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 2,46.30	1,72.01	1,48.37	+ 2,69.94
योग	+ 6,47.74	8,71.23	8,55.36	+ 6,63.61

अनुदान संख्या 46-(क्रमशः)

पूँजी

1. व्यय दत्तमत अनुदान से 7,14,26,441 रुपये तथा प्रसारित विनियोग से 46,002 रुपये अधिक हुआ, जिसका नियमन अपेक्षित है।

2. 7,14.26 लाख रुपये के अन्तिम प्राधिक्य के संदर्भ में, मार्च 1987 में लिया गया 34,26.10 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

3. अनुदान में प्रावधान से अधिक व्यय मुख्यतः निम्न शीर्षों में हुआ :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	प्राधिक्य+ बचत—
			(लाख रुपयों में)
532. बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
ग(घ) व्यास पारेषण परियोजना (व्यास निर्माण मण्डल द्वारा व्यय)			
2. व्यास पारेषण परियोजना का विस्तार	..	3,49.70	+ 3,49.70
ग(ङ) अन्य सरकार तथा अभिकरणों को समान निर्माण कार्यों के लिये अग्रिम	..	3,00.61	+ 3,00.61
ग(ख) व्यास सतलज लिंक (व्यास निर्माण मण्डल द्वारा व्यय)			
(ii) विद्युत शाखा			
2. डेहरा पावर प्लांट का विस्तार	..	46.91	+ 46.91
क(क) भाखड़ा बांध (सिंचाई शाखा)			
I. भाखड़ा प्रबन्धक मण्डल के अभिकरण के माध्यम से	..	22.97	+ 22.97

उपरोक्त चार शीर्षों में किसी भी बजट प्रावधान के अभाव में अथवा अनुपूरक अनुदान लिये बिना कुल 7,20.19 लाख रुपये के हुए व्यय के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

ख(च) (ii) उच्चत

1. विकलन				
मू.	40.00	76.00	77.36	+ 1.36
पु.	36.00			

मार्च 1987 में पुनर्विनियोजन द्वारा 36 लाख रुपये की अतिरिक्त निधि उच्चत लखों में हुए समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गई।

अनुदान संख्या 46-(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिव्यय- बचत-
			(लाख रुपयों में)
ख(घ) लिफ्ट योजना (सिचाई विभाग के अभिकरण के माध्यम से)			
(i) निर्माण कार्य			
मू.	66.01	90.82	90.88 + 0.06
पु.	24.81		

मार्च 1987 में पुनर्विनियोजन द्वारा 24.81 लाख रुपये की अतिरिक्त निधि, अधिक निर्माण कार्यों के निष्पादन से उत्पन्न वचनबद्धता को पूरा करने के कारण उपलब्ध करायी गई।

533. सिचाई, नौ-परिवहन, जलनिकास
और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं
पर पुंजीगत परिव्यय

क(क) III स्टेज II

(ii) उच्चत शीर्ष

1. विकलन

मू.	27,83.00	57,37.97	63,82.27	+ 6,44.30
प्र.	9,59.21			
पु.	19,95.76			

पुनर्विनियोजन द्वारा 19,95.76 लाख रुपये की अतिरिक्त निधि उच्चत लेखों में हुए समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गई। 6,44.30 लाख रुपये के अन्तिम आधिव्यय के कारण संसूचित गये हैं (अप्रैल 1988)।

क(ग) मेजा परियोजना-मेजा फीडर

(ii) निर्माण कार्य

मू.	1,53.11	2,84.54	2,84.54	
पु.	1,31.43			

क(स) सोमकमला अम्बा परियोजना

(i) निर्माण कार्य

मू.	3,06.25	3,71.14	3,85.71	+ 14.57
पु.	64.89			

उपरोक्त दोनों शीर्षों में मार्च 1987 में कुल 1,96.32 लाख रुपये की अतिरिक्त निधि अधिक निर्माण कार्यों से उत्पन्न वचनबद्धता को पूरा करने के कारण उपलब्ध करायी गई। 14.57 लाख रुपये के अन्तिम आधिव्यय के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

क(क) II स्टेज I

(vi) उच्चत

1. विकलन

मू.	1,23.50	1,84.39	1,73.18	- 11.21
पु.	60.89			

मार्च 1987 में पुनर्विनियोजन द्वारा 60.89 लाख रुपये की अतिरिक्त निधि, उच्चत लेखों में हुए समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गई। 11.21 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।

अनुदान संख्या 46—(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत-
		(लाख रुपये में)	
क(डड) माही परियोजना (iii) इकाई नं. 3 सामान्य निर्माण कार्य			
मू.	5,80.65	5,63.70	6,09.49 + 45.79
पु.	-16.95		

45.79 लाख रुपये के अन्तिम आधिक्य के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988) ।

क(घ) जाखन परियोजना (ii) निर्माण कार्य पर व्यय			
मू.	3,36.65	3,73.26	3,75.67 + 2.41
पु.	36.61		
क(कक) विलास परियोजना (i) निर्माण कार्य			
मू.	88.55	1,24.19	1,25.20 + 1.01
पु.	35.64		

उपरोक्त दोनों शीर्षों में मार्च 1987 में पुनर्विनियोजन द्वारा कुल 72.25 लाख रुपये की अतिरिक्त निधि अधिक निर्माण कार्यों से उत्पन्न बचतबद्धता को पूरा करने के कारण उपलब्ध करायी गई ।

क(क) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (iii) मुख्य तकनीकी परीक्षक (अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के माध्यम से)			
मू.	31.85	65.15	64.05 - 1.10
अ.	0.17		
पु.	33.13		

33.13 लाख रुपये की निधि का आवर्धन कुछ मण्डलीय कार्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण, मुख्य तकनीकी परीक्षक को स्थानान्तरित, होने को आरोपित किया गया ।

4. उपरोक्त टिप्पणी 3 में वर्णित शीर्षों में हुए अधिक व्यय को आंशिक रूप से निम्नलिखित शीर्षों के अन्दर हुई बचत द्वारा प्रति संतुलित किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत -
		(लाख रुपये में)	
533. सिंचाई, नौ-परिवहन, जल निकास और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
ख(घ) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (iv) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्यों पर भारत सरकार से प्राप्त गेहूँ के रूप में मजदूरी पर व्यय			
अ.	13,50.00	13,50.00	7,69.20 - 5,80.80

5,80.80 लाख रुपये की अन्तिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988) ।

अनुदान संख्या 46—(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिव्यय + बचत -
			(लाख रुपयों में)
क(क) III स्टेज II			
(i) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
मू.	33,52.70		
अ.	8,93.26	39,22.23	39,61.52
पु.	-3,23.73		+ 39.29

ख(घ) लघु सिंचाई निर्माण कार्य

(ii) निर्माण कार्य				
मू.	6,45.57			
		4,56.77	4,62.20	+ 5.43
पु.	-1,88.80			

उपरोक्त दोनों शीर्षों में कुल 5,12.53 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत कम संख्या में निर्माण कार्यों के निष्पादन को आरोपित की गई।

क(क) III स्टेज II

(ix) नोहर सावा लिफ्ट परियोजना				
मू.	3,50.00			
		1,78.00	1,65.44	-12.56
पु.	-1,72.00			

172 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मध्यतः भू-अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी न होने को आरोपित की गई।

क(क) III स्टेज II

(ix) विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना नं. 259				
मू.	1,22.60			
		25.00	33.09	+ 8.09
पु.	-97.60			

97.60 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्यों के कार्यक्रम में परिवर्तन को आरोपित की गई।

क(क) II स्टेज I

(v) मुख्य नहर				
(iii) मुख्य तकनीकी परीक्षक जोड़िये -III-स्टेज II से स्थानान्तरित आनुपातिक प्रभार				

मू.	25.00			
पु.	-25.00	..	..	..

समस्त प्रावधान आनुपातिक प्रभार के समायोजन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 47-पर्यटन (समस्त दत्तमत)
मुख्य शीर्ष:-राजस्व-339. पर्यटन

पूँजी-544. अन्य परिवहन और संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य + बचत- रु.
राजस्व			
मूल	85,14,000	1,03,42,000	1,00,34,079
अनुपूरक	18,28,000		-3,07,921
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			3,25,000
पूँजी			
मूल	35,00,000	55,00,000	54,99,400
अनुपूरक	20,00,000		-600
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			

अनुदान संख्या 48- विद्युत् (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष:-राजस्व-331. जल और विद्युत् विकास सेवाएं और
334. विद्युत् परियोजनाएं

पूँजी-734. विद्युत् परियोजनाओं के लिए कर्जें

	कुल अनुदान रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य + बचत- रु.
राजस्व			
मूल	5,24,00,000	5,24,00,000	5,24,09,222
अनुपूरक	..		+9,222
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
पूँजी			
मूल	1,06,30,00,000	1,06,78,00,000	1,06,30,00,000
अनुपूरक	48,00,000		-48,00,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टिप्पणियां तथा टीकाएं			
राजस्व			

अनुदान से व्यय 9,222 रुपये अधिक रहा, जिसका नियमन अपेक्षित है।

अनुदान संख्या 48-(समाप्त)

पूँजी

अनुदान में 48 लाख रुपये की समग्र बचत को देखते हुए, मार्च 1987 में लिया गया 48 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान, व्यास सम्प्रेषण (सामान्य पूल) के लिए अतिरिक्त ऋण की उपलब्धता का पूर्वानुमान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष: 363. स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
	रु.	रु.	रु.
राजस्व			
मूल	7,15,88,000		
अनुपूरक	23,95,000		
		7,39,83,000	-13,17,109
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 1987)			2,56,000

(पृष्ठ 13 पर विनियोजन
व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों

अनुदान संख्या और नाम	बजट अनुमान	
	राजस्व रु.	पूंजी रु.
1	2	3
3. सचिवालय	25,00,000	..
8. राजस्व	2,96,000	..
12. अन्य कर	63,24,000	..
14. बिक्रीकर	58,11,000	..
15. पेंशन व अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	1,000	..
16. पुलिस	65,80,000	..
19. लोक निर्माण कार्य	46,59,68,000	61,75,000
20. आवास	..	10,00,000
21. सड़कें एवं पुल	12,00,000	..
22. क्षेत्र का विकास	..	..
23. श्रम एवं रोजगार	42,55,000	..
26. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	6,24,91,000	..
27. जल प्रदाय योजना	11,58,42,000	59,37,00,000
32. नागरिक आपूर्ति	..	20,00,000
33. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,35,57,000	..
	1,000	..
34. प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत	16,75,00,000	..
	..	..
36. सहकारिता	..	59,91,000
37. कृषि	..	25,000
38. लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	21,00,000	40,000
39. पशुपालन एवं चिकित्सा	..	17,35,000
42. उद्योग	..	..
46. सिंचाई	25,09,39,000	67,93,82,000
	1,000	..
योग	1,11,53,64,000	1,29,00,48,000
	2,000	..

- (क) आधिक्य मुख्यतः प्रत्याशा से अधिक निर्माण कार्यों को स्टॉक सामग्री के जारी होने से अधिक वसूलियों के कारण हुआ।
 (ख) कमी मुख्यतः भारत सरकार से विविध कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता सामग्री की प्रत्याशा से कम प्राप्तियों के कारण तथा व्यय का सम्बन्धित शीर्षों को हस्तान्तरण न होने से हुई, जिसके कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (अप्रैल 1988)।
 (ग एवं घ) कमी मुख्यतः स्टॉक सामग्री के निर्गम की वसूली प्रत्याशा से कम होने के कारण थी।

लेखों के सारांश में उल्लिखित)
के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदान वार विवरण)

वास्तविक		बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
राजस्व रु.	पूंजी रु.	वृद्धि+ कमी- राजस्व रु.	वृद्धि+ कमी- पूंजी रु.
4	5	6	7
40,67,305	..	+ 15,67,305	..
6,29,511	..	+ 3,33,511	..
49,79,022	..	-13,44,978	..
65,70,000	..	+ 7,59,000	..
..	..	-1,000	..
85,90,516	..	+ 20,10,516	..
57,26,19,250	50,59,174	+ 10,66,51,250 (क)	-11,15,826
..	..	..	-10,00,000
28,37,196	..	+ 16,37,196	..
58,06,335	..	+ 58,06,335	..
17,71,576	..	-24,83,424	..
8,00,105	..	-6,16,90,895 (ख)	..
8,86,11,907	64,68,77,960	-2,72,30,093 (ग)	+ 5,31,77,960 (ड)
..	1,86,70,661	..	+ 1,66,70,661
2,69,68,643	..	+ 34,11,643	..
..	..	-1,000	..
32,45,51,498	..	+ 15,70,51,498 (घ)	..
13,826	..	+ 13,826	..
..	86,50,862	..	+ 26,59,862
..	1,18,476	..	+ 93,476
21,96,067	19,265	+ 96,067	-20,735
..	5,61,370	..	-11,73,630
..	2,10,000	..	+ 2,10,000
22,52,85,400	98,35,59,573	-2,56,53,600 (छ)	+ 30,41,77,573 (च)
..	..	-1,000	..
1,27,62,84,331	1,66,37,27,341	+ 16,09,20,331	37,36,79,341
13,826	..	+ 11,826	..

(घ) अनुदान के अन्तर्गत अधिक व्यय के फलस्वरूप आधिक्य मुख्यतः अकाल राहत निधि से प्रत्याशा से अधिक वसूलियों के कारण हुआ ।

(ड.) आधिक्य मुख्यतः प्रत्याशा से अधिक निर्माण कार्यों पर स्टॉक सामग्री के जारी होने से अधिक वसूलियों के कारण हुआ ।

(च) आधिक्य मुख्यतः प्रत्याशा से अधिक निर्माण कार्यों पर स्टॉक सामग्री के जारी होने से अधिक वसूलियों के कारण हुआ ।



भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
1989

अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर द्वारा मुद्रित ।